

हरियाणा विधान सभा,

की

कार्यवाही

14 मार्च, 1990

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 14 मार्च, 1990

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)26
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(3)27
वाक आऊट	(3)29
वर्ष 1990-91 का बजट पेश करना	(3)29

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 14 मार्च, 1990

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनेरबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Grant from Planning Commission

***1032 Sh. Surinder kumar Mahan:** Will the chief Minister be pleased to state the details of grant] if any, received by the state govt. from the Planning Commission, Govt. of India during the years 1988-88, 1988-89 and 1989-90 to date] yearwise, separately ?

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): हरियाणा की योजना स्कीमों के लिए योजना आयोग भारत सरकार से अनुदान के रूप में, 1987-88 में रूपए 12.65 करोड़, 1988-89 में रूपए, 15.07 करोड़ मिले तथा 1989-90 में रूपए 12.65 करोड़ आने की संभावना है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, उपमुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि 1988-89 में योजना आयोग द्वारा अनुदान के रूप में 15.07 करोड़ रूपए की राशि मिली है जोकि 1987-88 में मिलने वाली राशि से लगभग 2.23 करोड़ रूपए फालतू

है और अब 1989-90 में मिलने वाली राशि 2.42 करोड़ रुपए कम है जबकि हम पालियामेंट के चुनाव में लोगों से यह कहा करते थे कि एक बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा दो, हम नोट छापने की मशीन हरियाणा में लगा देंगे। क्या उप-मुख्य मंत्री महोदय केन्द्र पर इस बात के लिए दबाव डलवाएंगे कि हमें दी जाने वाली राशि को और बढ़ाया जाए न कि कम किया जाए ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग की ओर से जो सहायता मिलती है उसका एक फार्मूला निश्चित है। उस फार्मूले का नाम है गाडगिल फार्मूला। इस फार्मूले के अन्तर्गत जिस प्रदेश की जितनी असिसटैन्स बनती है उसी हिसाब से उस प्रदेश को दी जाती है। जब तक गाडगिल फार्मूले में तबदीली नहीं की जाएगी तब तक राशि को बढ़ाया नहीं जा सकता। हमने बार-बार गाडगिल फार्मूले का विरोध किया है कि इसमें परिवर्तन किया जाए क्योंकि गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत जो ऐडवान्स स्टेट्स हैं या जिनकी व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो गई है, प्लानिंग कमीशन ने उनकी राशि कम कर दी है और जो बहुत पिछड़ी स्टेट्स हैं उनकी बढ़ा दी हैं। हमने बार-बार प्लानिंग कमीशन से यह प्रार्थना की है कि जो स्टेट्स आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं उनकी बेहतर ज्यादा सहायता दी जाए लेकिन जो प्रदेश अपने परिश्रम व मेहनत से अपनी आय में वृद्धि करते हैं उनको कम राशि देकर इस बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए। उनको भी ज्यादा पैसा मिलना चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात ठीक है कि चाहे कांग्रेस के नेता कहा करते थे और चाहे हम कहते

आ रहे हैं कि हमारी सरकार केन्द्र में आने दो, हम केन्द्र का पैसा हरियाणा में लगाएंगे लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या यह सारी बातें केवल जनता को गुमराह करने के लिए ही थी ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय हमारी बातें जनता को गुमराह करने के लिए नहीं थी। अभी नई सरकार केन्द्र में आए जुमां-जुमां आठ दिन ही हुए हैं। नई सरकार को केन्द्र में आए अभी बहुत समय नहीं हुआ है, केवल दो चार महीने ही हुए हैं उनके आने के बाद अभी निर्धारित नीतियां निर्धारित ही हुए हैं और उनको सरकार लागू भी कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देहाती क्षेत्रों में जहां आज तक केवल 17 प्रतिशत खर्चा किया जाता था अब योजना का 50 प्रतिशत देहातों में खर्च किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में हमारी सरकार को बने अभी बहुत अर्सा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी सरकार अपनी प्रगतिशील नीतियों को भीष्म ही लागू करना चाहती है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, उप-मुख्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि 1989-90 में 12.65 करोड़ रुपए आने की संभावना है। क्या वे बताएंगे कि उन्होंने योजना आयोग के सामने अपना कितना क्लेम प्रस्तुत किया था जिसके अन्तर्गत यह राशि स्वीकृत हुई है ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, हम योजना आयोग के सम्मुख अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं लेकिन-योजना सैट फार्मूले के तहत ही सारी राशि निर्धारित करता है। जब तक उस गांडगिल फार्मूले में तबदीली नहीं की जाती तब तक हमक अधिक

राि 1 नहीं मांग सकते लेकिन हम वित्त मंत्रालय या दूसरे मंत्रालयों से अपनी योजनाओं के तहत अलग अलग पैसे की मांग करते रहते हैं और हमें मिलती भी रहती है।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर सर, अभी उप मुख्य मंत्री जी से बहिन सुशमा जी ने पूछा था कि आपने केन्द्र सरकार के पास कैसे कितना पुट अप किया था। जो तीन वर्ष की फिगर्ज रिप्लाइ में दी हुई है उससे यह पता चलता है कि हमारी राि 1 इन्कीज होने की बजाए डिकीज होती गई। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि राि 1 देने का प्लानिंग कमी 1न का आधार क्या है ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यह एक सैट फार्मूला है जिसका आधार मैं बता देता हूँ। जनसंख्या इसका आधार है, प्रति व्यक्ति आय इसका आधार है, राज्य की कुल आय इसका आधार है। जनसंख्या के आधार पर 28 प्रति 1त मिलता है, प्रति व्यक्ति आय के ऊपर 50 प्रति 1त, राज्य की कुल आय से साढ़े 12 प्रति 1त मिलता है। अगर हमारी योजनागत सहायता के अन्दर कमी आती है तो यह समझ लेना चाहिए कि प्रदे 1 ने ज्यादा विकास किया है। अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा बढ़ी है इसका मतलब है हमारे प्रदे 1 का विकास अधिक हुआ है। इसलिए इस गाडगिल फार्मूले के तहत असिसटेंस कम होती जाती है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी उप मुख्य मन्त्री महोदय ने फरमाया कि और विभागों से भी अनुदान मिलता रहता है। क्या वे बताएंगे कि इन वर्षों में कहां-कहां से कितना-कितना पैसा मिला ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, जो हमें योजना आयोग से मिलता है उसको नौर्मल असिसटैंस कहते हैं। माननीय सदस्य ने हांलाकि इस नौर्मल असिसटैंस के तहत केवल अनुदान दिए जाने की बात पूछी थी लेकिन मैं उनको इसके साथ-साथ ऋण की बात भी बताऊंगा। सन् 1987-88 में टोटल हमें 42.54 करोड़ रुपए मिला था जिसमें 29.78 करोड़ रुपए ऋण था और 12.76 करोड़ रुपए ग्रांट थी। 1988-89 में हमें कुल मिला 50.23 करोड़ रुपया जिसमें से 35.16 करोड़ रुपए ऋण था और 15.07 करोड़ रुपए ग्रांट थी। 1989-90 में हमें कुल 42.18 करोड़ रुपया मिला जिसमें से 29.53 करोड़ रुपए लोन था और 12.65 करोड़ रुपए ग्रांट थी। यह तो हमें योजना आयोग ककी और से मिला। (विधन) अभी आगे सुनिए। वर्ल्ड बैंक की और से 1987-88 में हमें 16.79 करोड़ रुपए मिले जिसमें से 11.75 करोड़ रुपए ऋण था और 5.04 करोड़ रुपए ग्रांट थी। वर्ष 1988-99 में वर्ल्ड बैंक से हमें 9.63 करोड़ रुपए लोन मिला और 4.13 करोड़ रुपए ग्रांट मिली, टोटल 13.76 करोड़ रुपए मिले। वर्ष 1989-90 में वर्ल्ड बैंक से हमें 11.28 करोड़ रुपए लोन मिला और 4.83 करोड़ रुपए ग्रांट मिली टोटल 16.11 करोड़ रुपए मिले। अध्यक्ष महोदय एस0वाई0एल0 कैनल के लिए हमें वर्ष 1987-88 में केन्द्र की और से 123.99 करोड़ रुपए मिले। यह लोन नहीं है क्योंकि एस0वाई0एल कैनल बनाने का सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार बहन करती है। वर्ष 1988-89 में एस0वाई0एल0 कैनल के लिए केन्द्र की और से 79.01 करोड़ रुपए मिले और वर्ष 1989-90 में 31.77 करोड़ रुपए मिले। यह पैसा कम इसलिए होता गया क्योंकि एस0वाई0एल0 कैनल की खुदाई का काम कम होता चला गया। अध्यक्ष महोदय, वर्ष

1987-88 में नैचुरल कैलेमिटी के लिए हमें 22.27 करोड़ रुपए लोन मिला और 9.56 करोड़ रुपए ग्रांट मिली टोटल 31.82 करोड़ रुपए मिले। वर्ष टोटल 0.78 करोड़ रुपए मिले। वर्ष 1987-90 में नैचुरल कैलेमिटी के लिए न लोन मिला और न ग्रांट मिली क्योंकि इस साल नैचुरल कैरेमिटी की कोई बात नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1987-88 में अप-ग्रैंडे इन औफ ग्रांट्स फार ऐजूके इन के लिए हमें न लोन मिला और न ग्रांट मिली और न ही 1988-89 में इसके लिए कोई पैसा प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण के लिए मिला था। अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत वर्ष 1987-88 में हमें 3.61 करोड़ रुपए लोन मिला और 58.00 करोड़ रुपए ग्रांट मिली और टोटल 61.61 करोड़ रुपए मिले। वर्ष 1988-89 में 5.52 करोड़ रुपए लोन मिला और 78.22 करोड़ रुपए ग्रांट लोन मिला और 110.40 करोड़ रुपए ग्रांट मिली टोटल 111.54 करोड़ रुपए मिले। अध्यक्ष महोदय, लोन और ग्रांट दोनों मिला कर वर्ष 1987-88 में 276.75 करोड़ रुपए मिले, वर्ष 1988-89 में 227.52 करोड़ रुपए मिले और 1989-90 में 206.48 करोड़ रुपए मिले। यह सारा पैसा प्लान का था। नौन प्लान के लिए हमें वर्ष 1987-88 में 6.19 करोड़ रुपए मिले, 1988-89 में 34.64 करोड़ रुपए मिले और 1989-90 में 20.00 करोड़ रुपए मिले। यह सारा पैसा प्लान और नान प्लान का है।

shri Durga Dutt Attri:

Mr. Speaker: Attri ji, this is not the way. please take your seat, (interruptions) what is being said without my permission will not be recorded.

shri Durga Dutt Attri:

Mr. Speaker: Attri ji, please listen. you take your seat (interruptions)

shri Durga Dutt Attri:

Mr. Speaker: You see, after all he is giving the entire figures. (interruptions)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों को इस प्रकार से अंससदीय भाशा का प्रयोग नहीं करा चाहिए। ये महान सदन के सम्मानित सदस्य हैं, पढ़े-लिखे हैं और जनता ने इनको चुन कर भेजा है। (गोर) अध्यक्ष महोदय, आदरणीय डाक्टर मंगल सैन जी ने हर साल की सूचना पूछी थी जिसे मैं फ़ैक्टस एंड फिगर्ज के साथ बता रहा हू। फिर भी माननीय सदस्य कहें कि ज्यादा टाईम ला दिया तो ठीक बात नहीं। यदि मैं सारी सूचना न दू तो माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं तैयार हो कर नहीं आया। इस तरह से माननीय सदस्यो द्वारा भाोर- ाराबा करना, विधन करना सदन के कीमती समय को बर्बाद करना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इन माननीय सदस्यों को इस तरह से भाोर भाराबा करने से रोका जाएं

Mr. Speaker: No interruptions please. Hon'ble Members, 15 minutes have been taken on this question. i would request you not to please ask more supplement Aries on this question.

आवाजें: स्पीकर साहब, यह बड़ा इम्पोटैन्ट क्वै चन है। इस पर कुछ और सप्लीमेंटरीज पूछने की इजाजत दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, गाड़गिल फार्मूला तो तीनों सालों में समान था। जब गाड़गिल फार्मूला तीनों सालों में समान था तो फिर इन तीनों सालों में अनुदान की राशि कम या ज्यादा क्यों हुई ?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब पहले आ चुका है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं उप मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगी कि जब हरियाणा सरकार की योजना आयोग के साथ बैठक हुई तो उस समय हरियाणा सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आया था कि हमारी 676 करोड़ रुपए की योजना की बजाए योजना आयोग ने 700 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब योजना 700 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो चुकी तो फिर हमें कम पैसा क्यों मिला ? मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि ज्यादा पैसा स्वीकृत होने पर कम पैसा क्यों मिला, इसका आपस में क्या रिश्ता है ?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी को बताना चाहूंगा कि 676 करोड़ रुपए की हमारी चालू योजना है और 700 करोड़ रुपए की अगली योजना, योजना, आयोग ने स्वीकृत की है।

कामरेड हरपालज सिंह: अध्यक्ष महोदय, यहां पर बार-बार एक बात कही जाती थी कि यदि केन्द्र में जनता दल की सरकार सत्ता में आई तो नोट बनाने वाली मंशिन का मुंह हरियाणा की तरफ कर दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इस काम में गाड़गिल फार्मूला रुकावट बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री

महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस गाडगिल फार्मूले को बीच से बढ़ा कर नोटों की मं गिन का मुहं हरियाणा की तरफ किया जाएगा मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रुकावट बनी हुई है उसे दूर करने के लिए ये कोई कार्यवाही नहीं है ?

Mr. Speaker: you put this question like this क्या गाडगिल फार्मूले को बदलने की कोशिश की गई या की जाएगी ?

कामरैड हरपाल सिंह: मेरा मकसद यही है ।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के बताना चाहूंगा कि इस बारे में हमारी योजना आयोग से परिचर्चा हुई है और हमने उनसे दरखास्त की है कि इस गाडगिल फार्मूले को बदला जाए। अभी यह मामला विचाराधीन है ।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने अपने जवाबों में गाडगिल फार्मूले का जिकर किया और साथ ही इसके अनुपास का भी जिकर किया है व्यक्तिगत योजना आय या राजस्व की आय के आधार पर मिलने वाली सहायता कम या ज्यादा हो जाती है । मैं बताना चाहूंगा कि कल गुप्ता जी ने त्यागी जी ने और ओम प्रकाश भारद्वाज जी ने अपने सवालो का जवाब देते हुए फण्डज की अवेलेबिल्टी की कमी का जिकर किया था। अब इन्होंने अपने जवाबों में राज्य की राजस्व में वृद्धि की बात की है जबकि काम कहीं पर नहीं हुआ। जब स्टेट में कहीं पर काम ही नहीं हुआ तो इससे राजस्व में वृद्धि कैसे हुई और कहां खर्च हुई ? अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्व वृद्धि का सवाल है हर साल तकरीबन 25 प्रतिशत

के करीब औटोमैटिकली राजस्व बढ़ जाता है। इस दृष्टि से योजनागत आधार पर इस रे गो से पिछले साल 15 करोड़ रुपए मिलने वाली राशि में 20 परसेंट के मुताबिक 3 करोड़ रुपए बढ़ जाने चाहिए जिससे हमारी यह राशि 15 करोड़ रुपए की बजाए 18 करोड़ रुपए मिलने की बजाए 13 करोड़ रुपए मिले है। क्या राजस्व डेढ़ गुणा बढ़ा है जिससे मिलने वाली अनुदान राशि डेढ़ गुणा कम हुई है। क्या यह अनुपास के मुताबिक दोनों सही है ?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, अनुपात वही है जो मैंने बता दिया है।

Elections of Panchayat Samitis

***1026 shri mani Ram:** will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the govt. to hold panchayat samitis Elections in the state; and

(b) if so, the time by which the said elections are likely to be held ?

शिक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुकम सिंह)

(क) जी हां।

(ख) सरकार ने पंचायत समितियों के चुनाव 30 अप्रैल 1990 तक पूरे करवाने का निर्णय लिया है।

श्री मनी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पंचायत समितियों के चुनाव कब ड्यू थे, ये कब करवाए गए और इन चुनावों को देरी से करवाने के क्या कारण थे ?

श्री हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, पिछली चुनाव समितियों की टर्म जनवरी, 1990 तक थी। चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी रात-दिन प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। पंचायत समितियों के पिछले जो चुनाव हुए थे वे इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1983 में दिलवाई गई। इनकी टर्म 1985 से भुरू हुई मानी गई है। अब हम समय पर ही ये चुनाव करवा रहे हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, मंत्री महोदय ने पंचायत समितियों के चुनाव 30 अप्रैल, 1990 तक पूरे करवाने का आ वासन दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या जिला परिशदों के रिवाईवल की भी कोई योजना है ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर सर, अब हमारे यहा टूटायर सिस्टम है।

कैप्टन अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जवाहर रोजगार

योजना के अन्तर्गत पंचायत समितियों को देहात की उन्नति हेतु किस हद तक अधिकार दिए जाने की संभावना है ? इस योजना के तहत केन्द्रीय सरकार से जो भी राशि प्राप्त होगी उसके बारे में सरकार का क्या रुख होगा ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, वैसे तो यह सवाल पंचायत समितियों के चुनाव के बारे में है। जहां तक जवाहर रोजगार योजना का ताल्लुक है, यह पैसा सीधा सरपंचों को जाता है। पंचायत समितियों का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि पंचायत समितियों के चुनाव भीघ्र ही करवाए जाने की संभावना है और इसके लिए उन्होंने तिथि भी निश्चित की है। स्पीकर साहब, कांग्रेस सरकार ने 1972 में जिला परिशदों को समाप्त कर दिया था। क्या मंत्री जी बताएंगे कि प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिए जिला परिशदों के चुनाव भी पंचायत समितियों के साथ ही करवाए जाएंगे तथा लोगों को प्रजातांत्रिक अधिकार देने के लिए सरकार कोई और कदम उठाएगी ?

श्री हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि अब हरियाणा में पंचायत समितियों और ब्लॉक समितियों का केवल टू-टायर सिस्टम है।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नए खण्ड या ब्लॉकस बने हैं, उन्हें भी पंचायत समितियों के चुनावों के साथ चुनाव का अधिकार

मिलेगा तथा जो पंच और सरपंच राजनैतिक कारण से या किसी अन्य कारण से सस्पेंड थे, क्या यह अधिकार उनको भी मिलेगा ?

श्री हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, ब्लाक नए बने हो या पुराने, चुनाव तो सभी में होगा, जो सस्पेंड हुए हैं या जिन पर ऐलिंगे रान्ज है, उनको चुनाव में बहाल करने बारे मामला कानून के अनुसार ही टेकअप किया जाएगा।

श्री वासुदेव भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पंचायत समितियों के जो चुनाव हुए थे, वे 1983 में हुए थे या 1985 में हुए थे ?

श्री हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया था कि चुनाव 1983 में हुए थे और ओथ 1985 में दिलाई गई थी। इसलिए यह टर्म 1985 से मानी गई है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, लोकल समस्याओं को हल करने में पंचायत समितियां अधिक कारगर रूप से काम कर सकती हैं। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान और कुछ अन्य प्रदेशों में पंचायत समितियों को ज्यादा पावर्ज और अधिकार मिले हुए हैं क्या उसी प्रकार से हरियाणा में भी अधिक पावर्ज देने की बात पर सरकार विचार करेगी ?

Mr. Speaker: This question relates to election and not giving more power to the panchyat samities.

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पंचायत समितियों

के जो चुनाव अप्रैल में होने हैं क्या उनमें बूथ कैप्चरिंग की संभावना को रोकने के लिए सरकार कोई प्रभावी पग उठाएगी ? (व्यवधान एवं भाोर)

Mr Speaker: Please take your seat.

श्री हुकम सिंह: बूथ कैप्चरिंग के बारे में तो हमारे कांग्रेस के भाई ज्यादा बेहतर जानते हैं। (व्यवधान एवं भाोर) तो गाम में चुनाव हुए और 98 प्रति गत वोट डालकर जब वर्ल्ड रिकार्ड कायम किया था जो उन्हें महसूस नहीं हुआ था। (विधन) इसी तरह से टोहना में जब बन्दूक की नोक पर वोट डलवाए गए थे तब मेरे ये साथी कहां थे। (विधन)

Mr. Speaker: Next Question.

Milch Cattle in the Government livestock farm, Hisar

* **1046. Shri Kailash Chand Sharma:** will the minister of state for Animal Husbandry be pleased to state:-

(a) the number of milch cattle in the government livestock farm, Hisar;

(b) the number of cows and buffaloes out the cattle as referred to in part, (a) above, separately;

(c) the quantity of cattle feed given to milch cattle daily at present; and

(d) Whether the quantity of cattle feed as referred to in part (c) above is according to the prescribed norm ?

पुपालन राज्य मंत्री (श्री अजमत खां)

(क) 314

(ख) 314 गाएं

भैंस— डून्य

(ग) 265 किलोग्राम प्रतिदिन

(घ) हां, हरे चारे के अनुपास अनुसार

श्री कैला 1 चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि दुधारू प डुओं को प्रति दिन 265 किलोग्राम प डु आहार प्रति प डु के हिसाब से दिया जाता है। मै आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि यह माता सभी प डुओं के लिए एक दिन की हैं या महीने भर की है ? एक प डु के जिम्मे कितना आहार आता है ?

श्री अजमत खां: 265 किलोग्राम चारे हककी मात्रा सभी प डुओं के लिए प्रति दिन की है। 800 ग्राम चारा प्रति प डु प्रतिदिन दिया जाता है।

श्री राम बिलास भार्मा: क्या प डु पालन मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब से ये मेव मंत्री बने है तब से गायों की संख्या बढ़ी है या घटी है ?

श्री अजमल खां: गायों की संख्या बढ़ी है।

श्री सीता राम सिगला: मै आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कितनी गायें है जो प्रतिदिन के हिसाब से दस किलो दूध देती है या इससे अधिक देती है ?

Mr. Speaker: Singls sahib, it is not possible to give reply to this question off hand. please take your seat.

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, हिसार में जो राजकीय प जुधन फार्म स्थापित हुआ है, इसे स्थापित हुए कई वर्ष हो गए है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इसकी ऐक्सटैन्शन का कोई प्रोग्राम है जिससे देहात के किसानों को लाभ पहुंच सके ?

श्री अजमत खां: हिसार फार्म से तो देहातों को सांड दिए जाते है।

चौधरी सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हिसार प जु फार्म से एक साल में कितनी आमदन होती है ?

श्री अजमत खां: यह फार्म फायदे के लिए नहीं है। यह फार्म तों जमीदारों के फायदे के लिए है। इस फार्म से सांड दिए जाते है।

Notice issued for violation of pollution control act in the state

***1046 shri Hira Nand Arya:** will the chief Minister be pleased to state:-

(a) whether any notice on account of violation of pollution control act have been issued to the factory owners by the pollution control board in the state during the years 1985-86 and 1986-87:

(b) if so, the yearwise details thereof together with the names of industries to whom the notices were issued; and

(c) whether the government of Haryana or Pollution Board has received any complaint in regard to pollution due to emission by the distillery located at Hisar during the period as referred to in part (a) above, if so, the action taken thereon ?

Public Health Minister (sb. Maha Singh)

(a) yes.

(b) During 1985-86 and 1986-87 notices under Water Act, 1974 & Air Act, 1981 were issued to 245 and 186 industries respectively. However, efforts involved in compiling the lengthy information in detail would not be commensurate with the likely benefits to be derived.

(c) A complaint was received against M/s. Associated Distillery Hisar during the year 1985-86 and another during 1986-87. The prosecution proceedings were launched against the industry in the District Court, Hisar and the matter is still pending in the court,

Shri Hira Nand Arya:- Will the Minister be pleased to state as to how many industrialists out of 245 and 186 industries, as mentioned in the reply, have been convicted ?

10:00 बजे

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन यह कन्बिक इन की बात पूछ रहे हैं।

श्री रतल लाल कटारिया: स्पीकर साहब, रादौर के पास वैस्टर्न जमुना कैनल के अन्दर पानी की बजाए सारी फैक्ट्रीज का

गन्द इक्ठ्ठा हुआ रहता है और वहां पर जमा रहता है। क्या यह बात सरकार के ध्यान में है, अगर है तो सरकार ने उसको ठीक करने के लिए कोई कदम उठाया है, अगर नहीं तो क्या सरकार कोई कदम उठाएगी ?

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, जहां पर भी इस किस्म के मामले हैं, वह सारे सरकार के ध्यान में हैं। सरकार उन पर सख्त कार्यवाही कर रही है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैसर्ज ऐसोर् टयेटिड डिस्ट्रिक्टरी, हिसार का जिक्र यहां पर आया और मंत्री जी ने यह कहा है कि मामला कोर्ट के अन्दर विचाराधीन है। क्या मामला विचाराधीन रहते हुए भी सरकार उस फैक्टरी की पोल्यूशन पर रोक लगा सकती है क्योंकि वहां पर लार्ज स्केल पर गन्दा पानी निकल रहा है जिसके कारण हिसार कैँअ और उसके आस पास के गांवों के लोगों का जीना दूभर हो गया है ? क्या भविष्य में पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी ?

श्री महा सिंह: स्पीकर सर, सरकार ने इस मामले में जो भी कानूनी कार्यवाही सम्भव हो सकती थी, वह करने की कोशिश की है। विधान के सबसे सख्त प्रोवीजन ई0पी0ए0 के तहत हमने कार्यवाही की है लेकिन उसके हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी-अभी यह बताया है कि कुछ मामले विचाराधीन हैं। क्या ये बताएंगे कि वर्षवार कुछ कितने मामले विचाराधीन हैं ?

श्री महा सिंह: हमने वाटर ऐक्ट के तहत वर्ष 1985-86 के जो नोटिस दिए हुए हैं वे 79 हैं और 1986-87 में वाटर ऐक्ट के तहत दिए गए नोटिस 166 हैं। कुल 245 नोटिसिज हैं। इसी तरह से ऐयर ऐक्ट के तहत 1985-86 वर्ष में 105 नोटिसिज दिए गए हैं और 1986-87 में 81 नोटिसिज दिए गए हैं। टोटल 186 है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान हरियाणा सरकार को भारत सरकार या इन्टरनैशनल एजेंसीज के द्वारा कितनी राशि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राप्त हुए हैं और सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री महा सिंह: सर, यह सप्लीमेंटरी इस प्रश्न से रिलेट नहीं करती।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि सरकार ने 245 वाटर ऐक्ट के तहत और 186 ऐयर ऐक्ट के तहत नोटिसिज दिए हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें से 1988-87 के कितने नोटिसिज अभी तक पैडिंग हैं। और कितने सरकार के वापिस ले लिए हैं और कितनों में सजा दी गयी है या सजा देने की कार्यवाही प्रारम्भ की है ?

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, मैंने अभी बता दिया है कि कोर्ट में केसिज चल रहे हैं और कोर्ट के अन्दर फैसला होने के बाद ही सजा होती है। जितने भी ऐसे केसिज हैं, वह हमने कोर्ट में दे रखे हैं।

श्री रघुबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि पौल्यू इन करने वाली कौन-कौन सी मेजर गैसिज निकलती है ?

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, यह तो आप ही बता दो ।

श्री रघुबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि गैसिज की ऐप्रोक्सिमेट क्वांटिटी कितनी निकलती है, किस तरह से वह डैसिटी औफ पापुले इन को हरियाणा के अन्दर नुकसान पहुँचाती है और उसको रोकने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ?

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, वैसे तो यह सप्लीमेंटरी इस क्वै चन से रिलेट नहीं करता लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आदरणीय सदस्यों की नौलिज के लिए बता देता हूँ। सबसे बड़ी खतरनाक एयर पौल्यू इन और वाटर पौल्यू इन होती है। दोनों की पौल्यू इन की अलग-अलग स्टेजिज है। दोनों को दूर करने के किलए अलग-अलग तरीके हैं। वाटर पौल्यू इन में एक गैस डी०ओ०डी० होती है जिसकी लिमिट 30 मिलिग्राम पर लिटर परमिसिबल होती है। दूसरी गैस सी०ओ०डी० होती है जिसकी लिमिट 250 मिलिग्राम पर लिटर परमिसिबल होती है। इससे जितनी ज्यादा इनकी मात्रा बढ़ जाती है, उतनी ही ज्यादा पौल्यू इन बढ़ जाती है। इसी तरह से एयर पौल्यू इन की डिफरेंट गैसिज की जैसे सल्फरडाइऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड और एस०पी०एम० आदि को डिफरेंट लिमिटस परमिसिबल हैं।

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह जो मैसर्ज ऐसो टिड डिस्टिलरी हिसार है, जिसके खिलाफ मुकद्दमा चला रहा है, इसके मालिक कौन है ? क्या इसके मालिक भानू इंडस्ट्रीज के अनूप बिानोई तो नहीं है ? दूसरे यह जो इन्होंने कार्यवाही करने के लिए मामला चालू किया है, यह कौन से ऐक्ट की कौन सी धारा के तहत है ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, बहन सुशमा जी ने सवाल किया है कि इंडस्ट्री की ओनरशिप किसकी है या उसका मालिक कौन है ? अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके मालिक भानू इंडस्ट्रीय के अनूप बिानोई ही है। वे चौधरी भजन लाल के दामाद है। उनकी पार्टनरशिप है। जहाँ तक इस इंडस्ट्री के खिलाफ कार्यवाही का सवाल है सरकार ने तीन किस्म की कार्यवाही की है। पहली कार्यवाही तो यह है कि जब यह पता लगा कि पौल्यूशन हो रहा है और लोगों में रिजैन्टमेंट आ रही है तो उसके खिलाफ किमिनल केस रजिस्टर किया गया। कोर्ट लेकर चीफ जुडििशियल मैजिस्ट्रेट ने केस खारिज कर दिया। कोर्ट में केस लेकर गए लेकिन चीफ जुडििशियन मैजिस्ट्रेट ने केस खारिज कर दिया। उसके बाद सरकार सैान कोर्ट में गई है। इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किए, वहाँ के लोगों ने काफी हो-हल्ला मचाया, जलसे किए और सारे भाहर की तरफ से जलूस निकाला। तब न्यूसैस किएट करने के कारण धारा 133 में उनके खिलाफ फिर केस रजिस्टर किया गया। वह केस कोर्ट में चल रहा है ई०पी०ए० के तहत अभी एक नया ऐक्ट बना है जिसके अन्तर्गत पानी और बिजली का कनेक्शन भी काटा जा सकता है अगर कोई इंडस्ट्री पौल्यूशन फैलाती है। लेकिन उसके

लिए कानूनी कार्यवाही का नोटिस देना पड़ता है। उनको नोटिस दिया गया लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। स्पीकर साहब, सरकार इस बारे में काफी चिन्तित है। पब्लिक में इस बात के लिए काफी अंसतोश है कि उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई है लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केस कोर्ट में ले जाए और जल्दी से जल्दी फैसला हो।

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय.....

Mr. Speaker: I am very sorry. No more supplementary on this question now. Next question.

तारांकित प्र न संख्या 1067

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री उदय भान इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Indachhoi Minor

***1056. Comrade Harpal Singh:** will the minister for irrigation and power be pleased to state:-

(a) whether the construction work on the indachhoi minor in tohana constituency has been started: and

(b) if so, the time by which the above said minor is likely to be completed ?

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री (श्री सचदेव त्यागी)

(अ) नहीं।

(ब) इन्दाछूई माईनर का निर्माण कार्य फतेहाबाद वित्रिका की रिमौडलिंग और पक्का करने के कार्य से जुड़ा हुआ है जिसके पूरा होने के उपरान्त ही भुरू किया जाएगा। निर्माण कार्य का पूरा होने का समय धन की उपलब्धि पर निर्भर है।

कामरेड हलपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ब्यूटरी से जो इन्दाछूई माईनर निकलनी है, उसका कितना पार्ट पक्का हो चुका है और कितना बाकी है ? मेरे ख्याल में

श्री अध्यक्ष: आप ख्याल की बात छोड़िए और सवाल पूछिए।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह माईनर 1987 में मंजूर हुई थी लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि धन लगाने का क्या कार्टेरिया है, कौन से एरिया को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर चूज किया जाता है ?

Mr. speaker: Please take your seat. he has understood your question.

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर सर, यह माईनर फतेहाबा डिस्ट्रिक्ट ब्यूटरी से निकलनी है और इसका काम तकरीबन कमसपलीट हो चुका है। 1-4-1990 तक काम पूरा कम्पलीट हो जाएगा। इस समय मामूली सा काम रहता है।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि धन देने का कार्टेरिया क्या है ?

श्री सचदेव त्यागी: अध्यक्ष महोदय, धन देने का कार्डटेरिया यह है कि जिस जमीन से रिटर्न मैक्सिमम हो वहां प्रायोरिटी दी जाती है और यह जो इन्दाछूर्ई माईनर है इस पर 20.45 लाख रुपया खर्च होगा।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि यह माईनर 1987 में मन्जूर हुई थी और यह अब तक बनी नहीं है। इसीलिए मैंने धन देने का कार्डटेरिया पूछा है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बताया है कि इस माईनर पर 20.45 लाख रुपया खर्च होगा लेकिन साथ ही रिटन रिप्लाय में कहा है कि निर्माण कार्य का पूरा होने का समय धन की उपलब्धि पर निर्भर है। जब इनके पास धन ही नहीं है तो काम कैसे पूरा होगा ? इस माईनर की ऐप्रूवल को ध्यान में रखते हुए धन उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया ? अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को देखते हुए क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह माईनर कब तक कम्पलीट हो जाएगी ?

Mr. Speaker: you have put questions. It is not possible to reply them at a time.

श्री सचदेव त्यागी: अध्यक्ष महोदय, जब तक फलेहाबाद डिस्ट्रिक्टरी का काम कम्पलीट नहीं हो जाता तब तक इस माईनर पर काम भुरु नहीं हो सकता।

श्री रघुबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने नई डिस्ट्रिक्टरी बनाने का कार्डटेरिया बताया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस कार्डटेरिया के हिसाब से टोटल बजट का कितना परसैन्ट नई डिस्ट्रिक्टरी के लिए रख गया है ?

श्री अध्यक्ष: नई डिस्ट्रिब्यूटरीज के बारे में जवाब इस समय नहीं दिया जा सकता। It requires a separate notice.

Medical College at kurukshetra

***1036. shri Rattan lal kataria:** will the chief minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the government to open a medical college at kurukshetra in the name of mhaarithi balmiki; and

(b) if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह)

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

श्री रतन लाज काटारिया: अध्यक्ष महोदय, 1986 में भारत के भूतपूर्व गृह मंत्री व उस समय के भूतपूर्व घोशणा-मंत्री महर्षि बाल्मीकि जयन्ती समारोह में कुरुक्षेत्र में गए थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में महर्षि बाल्मीकि जी ने नाम से एक मैडिकल कालेज वहां खोलने की घोशणा की थी। क्या गृह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि उस कालेज का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, कटारिया साहब ने ठी ही फरमाया कि इस समय के भूतपूर्व घोशणा मुख्य मंत्री व भारत के भूतपूर्व गृहमंत्री सरदार बूटा सिंह जी कुरुक्षेत्र में गए थे। ये लोग जहां भी जाते थे, केलवल घोशणाएं ही करते रहते थे। अध्यक्ष

महोदय, जबानही कलामी घोशणाएं भायद उन्होने की होंगी। क्योकि हमारे पास इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वे तो जगह जगह डिगियों के निर्माण के लिए भी पत्थर रख आते थे लेकिन बाद में लोग उन्हे फैंक देते थे।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि अग्रोहा में जो मैडिकल कालेज खोला जाना था, उसकी अब क्या प्रोग्रेस है ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, वैसे अग्रोहा मैडिकल कालेज का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी मैं हाउस की जानकारी के लिए यह बता देता हूँ कि इस के लिए बाकायदा काम भुरू हो रहा है क्योकि इस दे 1 की अग्रवाल कम्युनिटी के सारे भाईयों ने मिलकर उस समय के मुख्य मंत्री व आज के उप-प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी से इस बारे में कहा था कि हम इस कालेज के निर्माण के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। चौधरी देवीलाल जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था और अग्रवाल कम्युनिटी ने कालेज के लिए 1 करोड़ रुपया जमा भी करवा दिया था। अब सरकार भी बराबर का पैसा जमा करवा रही है। इस कालेज का निर्माण कार्य बाकायदा भुरू हो रहा है।

डा० बृज मोहन: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि कुरुक्षेत्र के अन्दर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कोई मैडिकल कालेज बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अग्रवाल कम्युनिटी ने अग्रोहा में महाराजा अग्रसैन जी के नाम के मैडिकल कालेज खोलने के लिए सरकार को 1 करोड़ रुपया जमा करवा दिया है और सरकार के कहे अनुसार वहां पर काम भी भुरु हो रहा है। पिछली बार सरकार ने कहा था कि जब तक अग्रोहा मैडीकल कालेज बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक बच्चों को मैडिकल कालेज रोहतक में ऐडमिशन दी जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले साल मैडिकल कालेज रोहतक में कितने बच्चों को ऐडमिशन दी गयी थी और इस साल कितने बच्चों को वहां पर ऐडमिशन दी गई है ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह मौजूदा सरकार जो घोशणा करती है वह बाकायदा कर भी दिखाती है। पिछले साल मैडिकल कालेज रोहतक में 50 लड़कों की ऐडमिशन की गयी थी और इस साल भी 50 बच्चों को ऐडमिशन दी गयी है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तो थे सरकार कहती थी कि इस मैडिकल कालेज के निर्माण के संबंध में केन्द्र सरकार अड़चन डाल रही है। अब चूंकि अपनी सरकार केन्द्र में विराजमान है इसलिए अब तो इस अग्रोहा मैडिकल कालेज के निर्माण के लिए कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। क्या मंत्री जी बताएंगे कि मैडिकल कब कतक बनकर तैयार हो जाएगा ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, बहन जी ठीक कह रही है। पहली कांग्रेस सरकार बाकायादा हर प्रकार की अड़चने डालती थी और जब भी हमारी सरकार कोई इस तरह का केस बनाकर केन्द्र

सरकार के पास भेंजती थी तो वहां से प्लानिंग कमी इन हमारे केस को रिजैक्ट कर देता था। अब हमारी नई सरकार आने के बाद प्लानिंग कमी इन ने इस की मन्जूरी दे दी है। अब किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं रहें है।

डा० बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, अपने पड़ोसी प्रदेशों में पांच-पांच मैडिकल कालेजिज है। क्या इस बात का ध्यान करते हुए हरियाणा के अन्तर कुरुक्षेत्र में एक मैडिकल कालेज की आवश्यकता नहीं है ? यहां पर भी मैडिकल कालेज होना चाहिए।

प्र० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब का तो प्रोफै इन ही यह है और इनको सारी जानकारी भी है। केन्द्र सरकार ने एक मैडिकल कालेज खोलने के लिए 50 लाख की आबादी का नौर्म फिक्स किया हुआ है। अब हरियाणा की आबादी डेढ़ करोड़ के करीब हो गई है लेकिन केन्द्र सरकार का कहना है कि मैडिकल कालेज खोलने के लिए देश के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा न कि सूबे के आंकड़ों को लिया जाएगा। देश के आंकड़ों के हिसाब से मैडिकल कालेज के आंकड़ों की संख्या पूरी हो चुकी है। इसलिए यहां एक और मैडिकल कालेज खोलना संभव नहीं है।

श्री रघुबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या पब्लिक का प्राइवेट आदमी अपने खर्च पर इस तरह का मैडिकल कालेज खोजना चाहे तो क्या उसे सरकार की तरफ से अनुमति दी जाएगी ?

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, गवर्नमैट ऑफ इंडिया ने इस बारे में अपना काइटेरिया निश्चित किया हुआ है। वह ओर

मैडिकल कालेज नहीं दे रही है। इसलिए आज के दिन यह कहना संभव नहीं है।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अग्रोहा कालेज पर कुल कितना खर्च होगा ? इसका क्या प्लान है और अब तक कितना खर्च हो चुका है ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अग्रोहा मैडिकल कालेज के लिए 267 एकड़ जमीन ऐक्वायर की जा चुकी हैं। उस जमीन का काफी हद तक किसानों का मुआवजा दिया जा चुका है और दिया भी जा रहा है। उसका नक्शा वगैरह तैयार हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क जल्दी ही शुरू हो जाएगा। उस पर टोटल खर्च का ऐस्टिमेट 50 करोड़ रुपए के करीब है। फर्स्ट फेज में इस पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें से इस साल दो करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसके बाद जितना खर्च आएगा सरकार करेगी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने हाउस को यह बात कह कर सरप्राइज किया कि भारत सरकार ने कहा है कि वे चूँकि देश भर की आबादी के हिसाब से मैडिकल कालेज खोलते हैं इसलिये हरियाणा की बात को उन्होंने नामंजूर कर दिया। मैं जानना चाहूँगा कि यह नामंजूरी पहले कांग्रेस भासन की थी या अब जो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह और हमारे ही नेता चौधरी देवी लाल जी हैं, उनकी है ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह जो नामंजूरी का भाव है यह पहली सरकार के लिए था। आज की केन्द्रीय सरकार के लिए भले काम के लिए कोई नामंजूरी नहीं है। इसके लिये नामंजूरी

पहली सरकार ने दी थीं। जब अग्रोहा का मैडिकल कालेज बन जाएगा तो हम तीसरा कालेज बनाने के लिये भी कोशिश करेंगे।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, अग्रोहा मैडिकल कालेज बनाने की मंजूरी मिली यह बड़ी खुशी की बात है। अभी मंत्री जी ने तीसरे कालेज की मांग की बात कही थी। मैं जानना चाहूंगा कि जब हरियाणा प्रदेश को तीसरे मैडिकल कालेज की मंजूरी मिल जाएगी तो उस कालेज को महर्षि वाल्मीकि के नाम से बनाएंगे ताकि देश के करोड़ों लोगों की भावना को ध्यान में रखा जा सके ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हम चाहते हैं कि ऐसा समय जरूर आए कि हम महर्षि वाल्मीकि के नाम से कालेज खोलें। जब ऐसा समय आएगा तो जरूर विचार करेंगे।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि देश की आबादी के आंकड़े लेकर मैडिकल कालेज खोलने का काइटेरिया है। अगर मैं गलती नहीं करता तो कर्नाटक में सब से ज्यादा कालेज है। क्या कभी सरकार ने रिप्रेजेंट किया है कि कर्नाटक की तरह हरियाणा में और मैडिकल कालेज मिलने चाहिए ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि कर्नाटक में मैडिकल कालेज ज्यादा है बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में भी ज्यादा है। इसी बेस पर हमने अपना केस पेश किया था लेकिन उन्होंने कहा कि हम देश की आबादी के आंकड़ें लेते हैं, सूबे के नहीं लेते।

Salaries of private schools

***1050 Shri sita ram singla:** Will the minister for Education be pleased to state:-

(a) whether the employees working in private government aided schools have not received their salaries for the last six months in the state; and

(b) if so, the reasons therefor togetherwith the time by which the salaries are likely to be disbursed to the employees as referred above ?

शिक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुकम सिंह):

(क) 390 अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में से 16 ऐसे विद्यालय हैं जिनके कर्मचारियों को गत छः मास से वेतन नहीं मिला। ऐसे स्कूलों की सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) प्रबन्धकों द्वारा धन के अभाव के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और इसका भुगतान इस स्कूलों के प्रबन्धकों द्वारा भीघ्न ही करने की संभावना है।

सूची

सरकारी सहायता प्राप्त उन अराजकीय मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जिनके कर्मचारियों को पिछले छः या अधिक मास से उनका वेतन नहीं मिला।

क्रमांक	स्कूल का नाम
1.	श्री गुरु हरगोबिन्द साहिब हाई स्कूल, अम्बाला भाहर

2	सिख कन्या उच्च विद्यालय, कालका
3.	गुरुकुल कन्या उच्च विद्यालय, बूरिया (यमुनानगर)
4	डी० ए० बी० उच्च विद्यालय, उदयपुर (यमुनानगर)
5.	एस० डी० बाल उच्च विद्यालय, गुडगांवा
6	बीर जैन प्राथमिक विद्यालय, हाँसी (हिसार)
7	गुरु नानक कन्या विद्यालय, पानीपत
8	गुरु नानक उच्च विद्यालय, लाडवा (कुरुक्षेत्र)
9	हिन्दु उच्च विद्यालय, लाडवा (कुरुक्षेत्र)
10	जनता उच्च विद्यालय, कौल (कुरुक्षेत्र)
11	जाट उच्च विद्यालय, कैथल
12	आर्य प्राथमिक स्कूल, वेरी (रोहतक)
13	चन्द्रकला प्राथमिक स्कूल, वेरी (रोहतक)
14	ममता कन्या उच्च विद्यालय, सिरसा
15	आर्य विद्या मन्दिर, डबवाली
16	एस० जी० जी० एस० खालसा उच्च विद्यालय, सिरसा

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, जब सरकार प्राइवेट स्कूलों को पूरी ग्रांट देती है तो उन स्कूलों के मुलाजिमों को 6-6 महीने और साल-साल भर तक तनखाह क्यों नहीं मिलती ? आज कल की मंहगाई के अन्दर अगर किसी कर्मचारी को समय पर तनखाह न मिले तो उसकी क्या होजलत होती है, यह सब को मालूम है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ऐसे स्कूलों की मैनेजमेंट के खिलाफ ऐव इन क्यों नहीं लेती ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंटस के खिलाफ ऐव इन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है हम तो केवल उनको दी जाने वाली एड ही रोक सकते हैं। अगर प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंटस अपने टीचर्स को वेतन नहीं देगी तो जो 75 परसेन्ट ग्रांट का पैसा है, वह हम सीधा उस टीचर्स को दे देंगे।

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि 16 ऐसे अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं जिनके कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन 16 विद्यालयों की मैनेजमेंटस अपने कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दे रही, क्या उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंटस के खिलाफ कार्यवाही करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम तो केवल उनको जो एड देते हैं। वही रोक सकते हैं।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने फरमाया कि प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट के खिलाफ ऐक्टान लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है केवल सरकार तो उनकी एड ही रोक सकती है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो 16 अराजकीय सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बताए हैं, जिनकी मैनेजमेंटस अपने कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतल नहीं दे रहीं हैं, उनमें से कितने स्कूलों की एड सरकार द्वारा रोकी गई है ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, अब तक किसी भी स्कूल की एड नहीं की है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट्स द्वारा प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को वेतन न देने का मामला आम तौर पर शिक्षा विभाग के सामने आ चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जैसे प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों को ट्रेजरी के थ्रू वेतन मिलता है, क्या उसी तरह से प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी वेतन दिलाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, आदरणीय बहन जी जिस समय शिक्षा मंत्री थी, उस समय इन्होंने खुद प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के साथ इस संबंध में कई मीटिंग्स की थी। अब भी यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री परमानन्द: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी न फरमाया है कि जिन प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट्स अपने टीचर्स को वेतन नहीं देती, उनके खिलाफ ऐक्ट्स बनाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या निकट भविष्य में ऐसा कोई कानून बनाने की प्रोजेक्ट सरकार के विचाराधीन है जिसके तहत ऐसी मैनेजमेंट्स के खिलाफ कोई ऐक्ट्स बन लिया जा सके ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, कई ऐसे प्राइवेट स्कूल भी हैं जिनकी मैनेजमेंट्स टीचर्स को वेतन कम देती हैं और दस्तखत ज्यादा पैसे पर करवा लेती हैं। इस प्रकार की कई कंप्लेंट्स भी

सरकार के पास आती है। ऐसी समस्या के समाधान के लिए मामला सरकार के विचाराधीन है। ऐसे प्राइवेट स्कूलों में ऐडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिए जाएं यह प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह समस्या हमें ही रही है कि प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट्स अपने कर्मचारियों को ठीक समय पर वेतन नहीं देती है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई कदम उठाने की योजना है ताकि यह समस्या ही खत्म हो जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूलों को जो 75 परसेंट ग्रांट दी जाती है, उसकी मोड ऑफ पेमेंट क्या है ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि यह प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है कि जो प्राइवेट स्कूल है, जिनकी मैनेजमेंट्स टीचर्स को कम वेतन नहीं देती, उन स्कूलों में ऐडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त कर दिए जाए ताकि यह समस्या खत्म हो जाए। जहां तक प्राइवेट स्कूलों को एड देने का संबंध है, वह साल में दो किस्तों में दी जाती हैं। एक किस्त सितम्बर मास में और दूसरी मार्च में महीने में दी जाती है।

श्री सीता राम सिंगल: अध्यक्ष महोदय, गुडगाव में जो एम0 डी0 बाल उच्च विद्यालय है, उसमें पिछले एक साल से एस0 डी0 एम0 बतौर ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है और जब से उस बाल उच्च विद्यालय में एम0डी0एम बतौर ऐडमिनिस्ट्रेटर सरकार ने बिठाया है, तब से उस विद्यालय के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब सरकार ने वहां पर

ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर रखा है तो फिर उस उच्च विद्यालय के कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिल रहा है ?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, अभी तो यह प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है कि ऐसे प्राइवेट स्कूलों, में ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिए जाए जिनकी मैनेजमेंट्स अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं देती। अभी तक कहीं पर भी ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं बिठाया है। अगर वहां पर कोई ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठा है तो डिपार्टमेंट के नोटिस में यह बात नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है कि वहां पर कोई ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठा है।

श्री टेक चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम, से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जितनी भी प्राइवेट संस्थाए हैं जिनमें टीचरों को पूरी पे नहीं मिलती या टीचरों को और दूसरी दिक्कतें आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या उन सारी प्राइवेट संस्थाओं को टेक ओवर करने की सरकार की कोई प्रोपोजल है ?

श्री हुकम सिंह: ऐसे सब स्कूलों में टेक ओवर करने की कोई प्रोपोजल विचाराधीन नहीं है।

Cases referred to state vigilance bureau

***1033. shri surinder kumer madan:** will the chief minister be pleased to state:-

(a) the number of cases. if any, referred to the state vigilance bureau for enquiry/investigation during the period from 1st january, 1987 to February, 1990;

(b) the number of cases, out of these referred to in part (a) above, in which action has been taken on the basis of enquiry conducted by the said bureau togetherwith the details thereof; and

(c) the number of cases still pending for enquiry/investigation with the said bureau at present ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह)

(क) 906

(ख) ऊपर संदर्भित पैरा "क" में दी गई संख्या में से राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा 786 जाचें पूर्ण कर ली गई हैं। 358 मामलों में संबधित प्र ग्रासकीय विभागों को दोशी कर्मचारियों के विरुद्ध आव यक विभागीय कार्यवाही करने के लिये कहा गया है, 79 मामलों में फौजदारी मुकदमें दर्ज करने के आदे ा दिए गए है, 301 मामलों में जांच संबधित प्रा ग्रासकीय विभागों को सूचना एवं रिकार्ड हेतु भेज दी गई है। क्योकि आरोप निस्सार पाये गये है। 14 मामलों में संबधित प्र ग्रासकीय विभागों को दोशी कर्मचारियों से उन द्वारा सरकार को पहुचाई गई हानि की बसूली करने के लिये कहा गया है। 34 जाचें ऐसी है जो राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा पूर्ण की जा चुकी है परन्तु द्वारा अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(ग) 120.

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन मामलों में अधिकारी दोशी पाये जाते है, क्या उन लोगों के खिलाफ राज्य चौकसी ब्यूरो

द्वारा खुद पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जाता ? दूसरी बात में यह जानना चाहता हूँ कि जो 120 मामले लम्बित पड़े हैं, क्या इनमें से किसी राजनेता के खिलाफ भी कोई मामला है या नहीं ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, राज्य चौकसी ब्यूरो अपनी रिपोर्ट देते समय तीन किस्त के निर्णय लेता है। पहला निर्णय तो यह लिया जाता है कि जो दरखास्त उनके पास जांच के लिये जाती है यदि उसमें लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाते यानी यदि ऐप्लीके इन देने वाला वेग ऐलिगे ांज लगाता है तो ऐसे केस को फाइल करने के लिये कहा जाता है दूसरा किस्म का निर्णय यह लिया जाता है कि किसी के खिलाफ दोष साबित होने पर, उसके खिलाफ किमिनल प्रोसिडिंग्स की बजाये संबंधित डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंटल जांच के लिये लिख दिया जाता है। ऐसे केसिज में डिपार्टमेंट जांच के दौरान यह उस डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है कि उसका जितना दोष साबित हो, उसी हिसाब से उसको सजा दी जाए। तीसरे सीरियस किस्म के केसिज होते हैं जिनमें चार्जिज पूरी तरह साबित हो जाते हैं। ऐसे केसिज में राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा अपने थानों में खुद केस रजिस्टर कराये जाते हैं। दूसरा सवाल इन्होंने यह पूछा था कि क्या कोई पोलिटिकल नेता भी इसमें शामिल है या नहीं ? इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य चौकसी विभाग की सारी कार्यवाही चूकि सीकेट होती है इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि कोई पोलिटिकल आदमी इसमें शामिल है या नहीं।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 79 मामले ऐसे हैं जिनमें एफ० आई० आर० दर्ज करने के

लिये राज्य चौकसी विभाग ने कहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इन में से किसी के खिलाफ एफ0 आई0 आर दर्ज हुई है ?

प्रो0 सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिन 79 केसिज का जिकर किया गया है उन सब की एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो चुकी है इनमें से 31 केसिज कोर्ट में पुट अप कर दिए गए हैं और कोर्ट में कार्यवाही पैडिंग पड़ी है।

Mr. Speaker: Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Supply of uniform to students belonging to scheduled castes/Backward classes in the state

***1024 Shri mani ram:** will the minister for education be pleased to state whether any uniform have been given to the students belonging to the scheduled castes/backward classes free of cost under the incentive scheme of the department in the Education intitutions of the state during the year 1988-89; if not the reasons therefor ?

शिक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुकम सिंह): जी नहीं। वर्ष 1988-89 के दौरान अनुसूचित जातियों की कन्या विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दी का कपड़ा इसलिये नहीं दिया जा सका क्योंकि जिस फर्म को सप्लाय करने के आदे 1 दिये गये थे, उसने सम्बन्धित वर्ष में कपड़ा सप्लाय नहीं किया। परन्तु 9वीं से 12वीं कक्षाओं में पढ़ रही अनुसूचित जातियों की लड़कियों की चुन्नी/दुपट्टा के लिये वायल

का कपड़ा खरीद कर सप्लाई कर दिया गया था। इस उद्दे य हेतु पिछड़े वर्ग की कन्या विद्यार्थियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु कक्षा पहली से आठवी कक्षा में पढ़ने वाली समाज की कमजोर वर्ग की कन्या विद्यार्थी इस स्कीम के अन्तर्गत आती है।

tractors in the Government lives tock foarm, Hisar

***1047. Shri kailash chand Sharma:** will the minister of state for animal husbandry be pleased to state:-

(a) the total number of tractors in the government livestock farm. Hisar as at present;

(b) the number jof tractors out of those as referred to in part (a) above have completed their prescribed lifespan; and

(c) the total amount spent on the repair of the tractors during the year 1988-89 ?

प गुपालन राज्य मंत्री (श्री अजमल खा):

(क) 49 ट्रैक्टर

(ख) 32 ट्रैक्टर

(ग) 4270 रुपये

Plying of Deluxe Bus

***1051. Shri. sita ram Singla:** will the minister of state for transport be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the government to ply Deluxe bus from gurgaon to chandigarh; and

(b) if so, the time by which the aforesaid bus is likely to be plied ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर):

(क) नहीं।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

विभिन्न विशयो का उठाया जाना

(At this stage, many Members rose to speak)

Mr. Speaker: Please sit down. I will reply to everybody one by one.

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक काल अटैन् इन मो इन डिजनीलैड के ऊपर था। जिला गुड़गावां और जिला फरीदाबाद के किसान भय से आंतकित है। अध्यक्ष जी, छोटे-छोटे किसान डरे हुए है। उन्हे भय है कि सरकार उनकी चरागाह उनकी जमीन ले लेगी। स्पीकर सर, सरकार को इसका जवाब देना चाहिते क्योकि इन दो जिलों के लिये यह एक बहुत ही अहम् मुद्दा बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष: डिजनीलैड के ऊपर 6-7 सवाल आए है और वे सारे के सारे सवाल ऐडमिट कर लिए गए है। (व्यवधान एवं भाोर) please listen let me say first. इस सबको क्लब कर दिया गया है और सवाल 16 तारीख को लगा हुआ है। (व्यवधान) अभी एक सवाल 20 मिनट चला है। काल अटै इन मो इन पर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय मिलता है क्योकि उस पर दी गई स्टेटमेंट के ऊपर

2 सप्लीमैटरीज से ज्यादा पूछे नहीं जा सकते । जबकि एक ताराकित प्र न पर 20 सवाल भी पूछे जा सकते हैं । (विधन एवं भाोर)

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर सर, ऐसा लगता है कि आप थोड़े से नाराज है ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, कल मेहम के सम्बन्ध में एक काल अटै इन मो इन था जिसको ऐडमिट न करने का कारण आपने बताया कि बजट पर बोलने का समय मिलेगा । (विधन एवं भाोर) मैंने अभी आपके दफतर में लिखकर दिया है कि उसे ऐडमिट कर लें । स्पीकर साहब, क्या यह प्रोविजन नहीं है कि कुछ अहम् मुद्दे काल अटै इन मो इन के तहत इस महान सदन में उठाए जा सकते हैं ? स्पीकर साहब, यदि आप नाराज है तो वह एक अलग बात है । (विधन एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: पण्डित जी, आप मेरी बात तो सुनिये । (विधन)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, रूलज में एक डैफिनिट प्रोविजन है । (विधन)

Mr. Speaker: please take your seat.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक कालिग अटै इन मो इन दिया है । लेकिन उसे भी साधारण सवाल के तौर पर ऐडमिट किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यह मामला साधारण नबैयत का नहीं है । यह मामला बहुत ही गम्भीर और वि ेश महत्व का है । यदि उस काल अटै इन मो इन को

मन्जूर कर लिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस प्रकार से तो इस मामले का महत्व ही खत्म हो जाएगा।

Mr. Speaker: Please take your seat.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, यदि आप उसको ऐडमिट कर ले और सरकार जबाब दे दे तो अच्छा रहेगा।
(विधन एवं भाोर)

Mr. Speaker: That has been disallowed. please take your seat.

श्री लछमन सिंह कम्बोल: अध्यक्ष महोदय, हमने मेहम के बारे में एक काल अटै इन मो इन दिया था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष: वह कालिंग अटै इन मो इन तो डिसअलाऊ कर दिया है।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: स्पीकर साहब हमें तो इस बारे में कुद बताया ही नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे कितने काल अटै इन मो इनज गुम हुए या उनका क्या हुआ इस बारे में हमें पता तो चलगा चाहिये। यदि इन बातों को नजन अन्दाज किया जाएगा तो हमारा यहां हाऊस में आने का क्या फायदा है ? (विधन एवं भाोर)

Mr. Speaker: this is not the way ? please take your seat.

वाक आउट

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, आपने परसों सुबह यह कहा था कि मेरा कालिंग अटै इन मो इन प्राप्त हो चुका है, क्या उसके बारे में आप बताएंगे कि उसका अब क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष: मैंने बता दिया है कि उसे डिस अलाऊ कर दिया है।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, आपने कब बताया है ? (विधन)

श्री अध्यक्ष: अभी बताया है।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, वह कालिंग अटै इन मो इन डिफरेंट था। इस में यह बात थी कि पुलिस के बहुत से कान्स्टेबलज मिसिंग है, जर्नलिस्ट वगैरा को पीटा गया है तथा कई प्राईवेट सिटिजन्ज भी लापता है।

श्री अध्यक्ष: यह बात को कल क्लीयर हो गई थी। The matter which has already been decided cannot be referred to again and again.

Now the deputy chief Minister will present the Budget
Please take your seat.

श्री किरपा राम पुनिया.

Mr. Speaker: i am not going to admit it now. मैंने जो फैसला दे दिया है उसे अब मैं रिवाइज नहीं करूंगा। (विधन)
whatever has been said without my permission will not be recorded.

आवाजे: अगर ऐसी बात है तो हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आऊट करते हैं।

(इस समय कांग्रेस (आई) के सभी सदस्य, विरोधी दल (सिवाए सर्वश्री हरनाम सिंह और हरपाल सिंह) और अनअटैचड मैम्बर्ज, जो भी सदन में उपस्थित थे, सदन से वाक-आऊट कर गये।)

वर्ष 1990-90 का बजट पे ा करना

श्री अध्यक्ष: अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ईयर 1990-91 का बजट प्रेजैन्ट करेंगे।

उप-मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे गणमान्य साथियों,

मैं इस सदन के सामने लगातर तीसरे वर्ष इन बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुए स्वयं को गौरवन्वित अनुभव करता हूँ।
(तालियाँ)

आज मैं इस चालू वर्ष के दौरान हमारे प्रयासों के फलस्वरूप उपलब्धियों व कमियों तथा आने वाले वर्ष के लिए निर्धारित हमारे उद्देश्यों और कार्य योजना का स्वरूप प्रस्तुत करूँगा।

सबसे पहले, मैं केन्द्र व राज्य सरकार के स्तर पर राजनैतिक ढांचे में हुए ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र करना चाहूँगा। पूरी तरह से सूझ-बूझ रखने वाले हमारे देश के मतदाताओं ने देश के भाग्य की बागडोर कांग्रेस (आई) के हाथों से लेकर हमारे नए

प्रधान मंत्री श्री वि वनाथा प्रताप सिंह के परिपक्व नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को सौंप दी है। इस सदन के सभी सदस्यों तथा हरियाणा के जन-साधारण के लिए यह बहुत ही खुशी और गौरव की बात है कि भारत के लोगों द्वारा दिए गए इसी जनादेश के मुलाबिक इस सदन के भूतपूर्व नेता तथा हमारे राज्य के मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल भारत के उप-प्रधान मंत्री के रूप में भोभायमान है। मैं उनकी राष्ट्र सेवा, विशेषतः किसानों और गरीबों की सेवा में महान सफलता के लिए मंगल कामना करता हूँ। मैं, हमारे नए मुख्य मंत्री, श्री ओम प्रकाश चलाया का भी स्वागत करता हूँ जो अपनी राजनैतिक परिपक्वता, संगठनात्मक मान्यता और हरियाणा के विकास के बारे में उद्विग्नता के लिए भली-भांति जाने जाते हैं। मैं जो कार्य योजना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उस पर उनके नेतृत्व में नई सरकार की सोच की एक छाप है और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 1989-90

“हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 1989-90”, दस्तावेज जो माननीय सदस्यों को पहले ही दिया जा चुका है, गत वर्ष के दौरान की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। मैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं का जिक्र करना चाहूंगा। वर्ष 1988-89 के दौरान आई अभूतपूर्व बाढ़ के बावजूद राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तुरन्त अनुमानों के अनुसार राज्य की आय स्थिर कीमतों (1980-81) के अनुसार वर्ष 1988-89 में 4,845 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान यह 3,975 करोड़ रुपये थी। इस तरह वर्ष के दौरान राज्य की आय में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई

है। वर्तमान कीमतों के अनुसार राज्य की आय वर्ष 1987-88 में 6,577 करोड़ रुपए से बढ़ कर वर्ष 1988-89 में 8,279 करोड़ रुपए हुई है जिसमें 25.9 प्रति शत की वृद्धि हुई है। क्षेत्रवार विलेक्षण से प्रतीत होता है कि वर्ष 1988-89 के दौरान प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के अंशदान में क्रमशः 39.4 प्रति शत, 6.2 प्रति शत और 11.5 प्रति शत की वृद्धि हुई है। यदि वर्ष 1980-81 की कीमतों को आधार माना जाए तो वर्ष 1988-89 में प्रति व्यक्ति आय 3,086 रुपए होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1987-88 में यह 2,586 रुपए थी। इस तरह प्रति व्यक्ति आय में भी 19.33 प्रति शत की वृद्धि हुई है। वर्तमान कीमतों के आधार पर वर्ष 1987-88 में प्रति व्यक्ति आय 4,278 रुपए से बढ़ कर वर्ष 1988-89 में 5,274 रुपए हो गई है। भारी बाढ़ से सम्पत्ति व फसलों को हुए नुकसान तथा वितरण प्रणाली के अस्त-व्यस्त होने के बावजूद हमने हरियाणा के कीमते राष्ट्रीय औसत से नहीं बढ़ने दीं। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-100) मार्च, 1988 में 753 से बढ़ कर मार्च, 1989 में 818 हो गया और इसमें 8.6 प्रति शत की वृद्धि हुई। यह मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 1989 में बढ़ कर 863 तक हो गया जबकि हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1972-73= 100) मार्च, 1988 तथा 1988 तथा मार्च, 1989 के बीच 313 से बढ़ कर 333 तक पहुंचा और इसमें 6.4 प्रति शत की वृद्धि हुई। वर्ष 1989-90 के बजट अनुमानों के आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण से पता चलता है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से 131 करोड़ रुपए का पूंजी निर्माण हुआ जबकि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी

निर्माण के लिए राज्य सरकार का अतिरिक्त अंशदान 316 करोड़ रुपए है।

संशोधित वार्षिक योजना 1989-90

चालू वर्ष, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 का अन्तिम वर्ष है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ 2900 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इसमें से लगभग 2567 करोड़ रुपए के खर्च की संभावना है। संसाधनों में कमी के मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों को चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान देने व पड़ोसी राज्य पंजाब में होने वाली आतंक की घटनाओं के फलस्वरूप राज्य की कानून एवम् व्यवस्था में गंभीरता को सुदृढ़ व सक्षम करने के फलस्वरूप राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ा है। इसके अलावा केन्द्र के स्तर पर आवश्यक वस्तुओं के आंकलित मूल्य निरन्तर बढ़ते रहने के कारण भी हमें अतिरिक्त वित्तीय भार सहना पड़ा है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि खर्च में कमी के बावजूद हमने कृषि, ग्रामीण विकास, विद्युत उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य व जल आपूर्ति जैसे मुख्य क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

मूलतः चालू वर्ष का योजना परिव्यय 676 करोड़ रुपए रखा गया था। इसके बाद कुछ ऐसे खर्च करने पड़े जो पिछले बजट के बाद हुए और जिनकी वजह से साधनों में कमी होने पर योजना परिव्यय 596.69 करोड़ रुपए पर संशोधित किया गया। महंगाई भत्ते की दो किस्तें व अन्य सेवा संबंधी लाभ देने से राज्य कोश पर

लगभग 33 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अलावा, लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि। पुलिस व्यवस्था को सक्षम करने तथा 18 करोड़ रुपए की धन-राशि। न्यायालयों के निर्णयों के दृष्टिगत अध्यापकों को बकायाजात की अदायगी पर खर्च की गई। सतलुज यमुना नहर परियोजना से संबंधित लगभग 37 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान चालू वर्ष में रखा गया था जबकि यह राशि। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 में ही दे देने के कारण चालू वर्ष के साधनों में कमी रहीं। तथापि संशोधित परिव्यय में विद्युत के 148 करोड़ रुपए, सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए 73.72 करोड़ रुपए, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए 241.82 करोड़ रुपए, कृषि तथा संबद्ध सेवाओं के लिए 53.63 करोड़ रुपए तथा परिवहन एवम् संचार सेवाओं के लिए 33.16 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

वार्षिक योजना 1990-91

पहली अप्रैल, 1990 से हम आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में प्रवेश करेंगे। इस योजना अवधि के दौरान अपनाई जाने वाली कार्य नीति और दृष्टिकोण को अभी कोई अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। राज्य की 1990-90 की वार्षिक परियोजना के 700 करोड़ रुपए का परिव्यय नियत किया गया है जो कि चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय के मुकाबले लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मुहित को तेज करने के लिए कटिबद्ध है और यही वजह है कि पूरी योजना परिव्यय का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि

ऐसा करके हमने अपनी राष्ट्रीय पार्टी, जनता दल के घोशणापत्र में किए गए वायदों को पूरा करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

हम अपनी जनता के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में सचेत हैं। हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि आम जन-साधारण को मूल सुविधायें जरूर मुहैया करवाई जानी चाहिए। इसी को मद्दे नजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है कि मास दिसम्बर, 1990 तक हरियाणा राज्य के हर गांव में नल द्वारा पेय जल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस दिना में कार्य पूरे जोर-शोर से आरम्भ भी किया जा चुका है।

हम सामाजिक सेवाओं और समाज शिक्षा स्कीमों को उच्च प्राथमिकता देते रहेंगे और इसी लिए सामाजिक तथा सामुदायिक क्षेत्र के अन्तर्गत 234 करोड़ 56 लाख रुपए का परिव्यय नियत किया गया है जो हमारी वार्षिक योजना का 33.51% का योजना का 33.51% प्रतिशत है। कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं, जिनमें सहकारिता भी शामिल है, के लिए 75.22 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 16.88 करोड़ रुपए, सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए 108.70 करोड़ रुपए, बिजली के लिए 182.00 करोड़ रुपए, उद्योग के लिए 20.00 करोड़ रुपए, परिवहन तथा संचार के लिए 40.10 करोड़ रुपए, विकेंद्रीकृत योजना के लिए 16.00 करोड़ रुपए, और अन्य क्षेत्रों के लिए 6.54 करोड़ रुपए, की राशि का प्रावधान किया गया है। सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना के लिए 15.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। कृषि तथा उद्योग के लिए हम मूल जरूरियात का विकास करते रहेंगे। अतः मैं वर्ष 1990-91 के दौरान किए जाने वाले विकास कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहूंगा।

20 सूत्रीय कार्यक्रम

सं गेधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरी योजना मे समायोजित कर दिया गया है। ऐसा विकास की गति को तेज करने के लिए किया गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 56,323 परिवारों की सहायता करने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1990 तक 52,079 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है जिनमें अनुसूचित जातियों के 28,475 परिवार शामिल है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 36 लाख 16 हजार श्रमदिवसों के रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1990 तक 21 लाख 24 हजार श्रमदिवसों का रोजगार पैदा किया गया है जिसमें से 13 लाख 23 हजार श्रमदिवसों का रोजगार अनुसूचित जातियों के परिवारों को दिया गया है। ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान 400 समस्याग्रस्त ग्रामों को भुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है जिससे कुछ 3 लाख 70 हजार लोगों को लाभ हुआ है जिसमें 91 हजार अनुसूचित जातियों के लोग शामिल है। सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 लाख 49 हजार बच्चे लाभान्वित किए गए है और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख आपरे ानों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबिले जनवरी, 1990 तक 67,227 नस/नल बन्दी आपरे ान किए गए है। आवास क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत 226 परिवारों को और इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी, 1990 तक 1025 अनुसूचित जातियों के परिवारों को आवास सुविधा दी गई है। गन्दी बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 36,666 व्यक्तियों के लक्ष्य के मुकाबिले कुछ 27,309 व्यक्तियों का

लाभ पहुंचा है जनवरी , 1990 तक 14,220 पम्पिंग सैटों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और 43,456 उन्नत चूल्हे लगाए गए हैं। वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 1989-90 में 5 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाने के लक्ष्य के मुकाबिले, जनवरी, 1990 तक 4 करोड़ 32 लाख वृक्ष लगाए गए हैं। गैर परम्परागत ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 2,000 बायोगैस संयंत्र लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध 1349 बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। वार्षिक योजना 1990-91 के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों पर इसी प्रकार बल दिया जाता रहेगा।

सिंचाई

कृषि उत्पादन में वृद्धि का आधार एक अच्छी सिंचाई व्यवस्था है और इसी तथ्य के दृष्टिगत राज्य सरकार इस क्षेत्र की और विशेष ध्यान दे रही हैं। सिंचाई व्यवस्था में और अधिक विस्तार सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के पूरा होने पर निर्भर करता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करती रही है कि यह परियोजना भीघाति गीघ चालू की जाए। काफी हद तक कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका नहर के चालू करने में अत्यन्त महत्व है। हम इन भागों की विशेष रूप से "मानीटरिंग" कर रहे हैं। कार्य का जायजा लेने के लिए हाल ही में जल संसाधन मंत्रालय में कई उच्च-स्तरीय बैठके हुई हैं। चालू वर्ष के दौरान हमने पूरा प्रयत्न किया है कि पानी को खेतों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में होने वाली जल हानि को कम किया जा सके और हम अपने दुर्लभ जल स्रोतों का अधिकतम उपयोग कर सकें। विशेष-बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजना

के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान लगभग 70 लाख वर्ग फुट नहरों व रजबाहों को पक्का किया गया है। इसके साथ ही अब हमारे राज्य में 48 करोड़ 40 लाख वर्ग फुट नहरों तथा रजबाहों का ऐरिया पक्का हो चुका है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में 661 किलोमीटर लम्बे रजबाहों व नालों के पक्का होने की आशा है जिससे राज्य में पक्के नालों व रजबाहों की कुल लम्बाई 18 हजार 750 किलोमीटर हो जाएगी। सिचाई-नहरों के अन्तिम छोरों पर स्थित किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। आगामी वर्ष के लिए 99 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि की योजनागत परिव्यय में व्यवस्था रखी गई है।

सतलुज यमुना लिंक नहर

निस्सन्देह, सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना हरियाणा के लिए विशेष महत्व रखती है। पंजाब के हिस्से में कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मूल अनुमानों के अनुसार इस परियोजना पर जहां 160 करोड़ रुपए का खर्चा होना था वहां अब मौजूदा अनुमानों के अनुसार 430 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इस परियोजना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जा रही है और इस वर्ष में भारत सरकार ने बतौर हरियाणा के हिस्से के पंजाब सरकार को 31.77 करोड़ रुपए की राशि दी है। हमने अगले वर्ष के लिए एक परियोजना पर 15 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान रखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि केन्द्र में सरकार बदलने से इस परियोजना के पूर्ण होने की गति में तेजी आएगी। हमने भारत सरकार से यह भी पुर-जोर मांग की है। कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के

हिस्से में नहर बनाने पर जो खर्च किया है भारत सरकार उस खर्च की भी प्रतिपूर्ति करें।

बाढ़ नियंत्रण

चालू वर्ष के दौरान, बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कुछ बाढ़ नियन्त्रण एवम् जल निकास कार्य किए गए हैं। यह भी व्यवस्था की गई है कि अगले साल मौनसून के आने से पहले ही कुछ और कार्य पूरा जाएं। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपए के पूंजीगत परिव्यय की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

बिजली

राज्य के कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बिजली के महत्व के दृष्टिगत हमारी सरकार इसे उच्च प्राथमिकता देती रही है। राज्य में बिजली की आपूर्ति में सुधार लाने हेतु पूरे वर्ष योजनाबद्ध तरीके से निरन्तर प्रयत्न किए गए हैं। फलस्वरूप, जहां वर्ष 1988-89 में 1 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध करवाई गई वहां मौजूदा साल में 2 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध करवाई गई है। आने वाले समय में इस स्थिति में और अधिक सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1990-91 में 210 मैगावाट क्षमता का अतिरिक्त संयंत्र पानीपत में लगाने हेतु कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। हम भारत सरकार से इस बात के लिए निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 840 मैगावाट वाली यमुनानगर ताप विद्युत परियोजना को भीघाति िघ्न कार्यान्वित करें। उपलब्ध बिजली का पूरी तरह प्रयोग

करने के लिए प्रेशण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में इस क्षेत्र के लिए 182 करोड़ रूपए के परिव्यय की प्रस्तावना की गई है।

जन स्वास्थ्य

हमारे राज्य ने मार्च, 1989 के अन्त तक 5,155 समस्याग्रस्त गांवों तथा 300 गैर-समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने में विशेष प्रगति की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 320 समस्याग्रस्त गांवों और 50 गैर समस्याग्रस्त गांवों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। इस पर 33 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ 12 लाख रुपए शामिल हैं। हमारी सरकार ने मास दिसम्बर, 1990 तक सभी गांवों को, जिसमें 211 समस्याग्रस्त और 709 गैर समस्याग्रस्त गांव हैं, यह सुविधा देने की योजना बनाई है। इस स्कीम को पूरा करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 28 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्चा प्रस्तावित है। हमने सभी 81 नगरों को जल सप्लाई तथा 37 भाहरो को न्यूनतम मल-निकास सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से भाहरी क्षेत्रों में जल-सप्लाई तथा मल निकास व्यवस्था में सुधार भी किया जाएगा। हरियाणा देश भर में पहला राज्य होगा जहां सभी ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि

हमारी 78 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और हमारी कुल आय में कृषि का अनुदान लगभग 40 प्रतिशत है। हमारी सरकार कृषि उत्पादन विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। वर्ष 1988-89 में खाद्यों और तिलहनो का

उत्पादन क्रम 1: 94.83 लाख टन और 4.81 लाख टन हुआ जोकि निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है। भारी बाढ़ के बावजूद गन्ने तथा कपास को उत्पादन क्रम 1: 6.58 लाख टन (गुड़) और 8.45 लाख गांठे हुआ। इस वर्ष मानसून अवधि के दौरान वर्षा न होने से हमारी बारानी फसलों, विशेषतया बाजरा की फसल, को अत्यधिक हानि पहुची है जिसके परिणामस्वरूप खरीफ उत्पादन बाजारा की फसल, को अत्यधिक हानि पहुची है जिसके परिणामस्वरूप खरीफ उत्पादन 27.70 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबिले 22.26 लाख टन होने की संभावना है और गन्ने और कपास का लक्ष्य क्रम 1: 7.00 लाख टन (गुड़) और 9.50 लाख गांठें निर्धारित किया गया है। मौजूदा रबी फसल अच्छी होने की संभावना है और हमें आता है कि रबी खाद्यान्न उत्पादन 93.66 लाख टन होने की आशा है। वर्ष 1990-91 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 100.00 लाख टन निर्धारित किया गया है। गन्ना, कपास और तिलहनो के लिए लक्ष्य क्रम 1: 8.50 लाख टन (गुड़), 9.80 लाख गांठे और 4.85 लाख टन निर्धारित किया गया है सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। गेहूँ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रमाणित गेहूँ-बीज और घासपातनाियों के लिए आर्थिक छूट पर आपूर्ति की सुविधा समूर्च राज्य में दी गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान किसानों को 1.81 लाख क्विंटल बीज बांटने का लक्ष्य है। इस वर्ष के दौरान रासायनिक खादों की खपत 5.80 लाख टन होने की संभावना है और अगले वर्ष के लिए 6.45 लाख टन की खपत का लक्ष्य नियत किया गया है। राज्य सरकार ने कृषि सम्बन्धी अन्य क्षेत्रों विशेषतया बागबानी को महत्व देने का निर्णय लिया है। सरकार ने बागबानी का

एक अलग निदेशालय स्थापित किया है। आता है कि यह निदेशालय आगामी वित्त वर्ष में प्रभावी रूप से कार्य करना आरम्भ कर देगा। सरकार, किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और कृषि आधारित उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य में मसूर, नीबू आदि, अंगूर और रेम उत्पादन पर बल दे रही है। राज्य सरकार ने विशेषकर दिल्ली महानगर के आस-पास के जिलों में फलों तथा सब्जियों के विकास को तेज करने के लिये राज्य में एकीकृत बागबानी और पशु उत्पाद विकास परियोजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस परियोजना को लागू करने के लिये राज्य में एक प्राधिकरण भी स्थापित किया जा चुका है। वर्ष 1990-91 के दौरान बागबानी निदेशालय की स्थापना के लिये 90 लाख रुपये की और बागबानी तथा पशु उत्पाद विकास परियोजना के लिए 80 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था प्रस्तावित की है।

सहकारिता

सहकारी संस्थाओं ने विविध कार्यों द्वारा राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष कृषि तथा अन्य प्रयोजनों के लिये मिनी बैंकों के जरिए 315 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा और अगले वर्ष के लिए इस प्रयोजनार्थ 362 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन कर्ज दिए जाएंगे। हैफेड ने वर्ष 1988-89 के दौरान 2 लाख 42 हजार टन उर्वरको का विपणन किया तथा चालू वर्ष के लिए लक्ष्य 2 लाख 75 हजार टन है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये जाटूसाना में एक "बार्ल माल्ट प्लांट" चालू किया गया है। एन० सी० डी० सी०-4 परियोजना के अन्तर्गत अनेक कृषि आधारित यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य की सातों चीनी मिलों में क्षमता का 104.50 प्रति शत इस्तेमाल हुआ जो कि बहुत ही अच्छा है। भाहाबाद तथा सोनीपत की चीनी मिलों ने देश के निम्न वसूली क्षेत्र में क्रम 1: पहला तथा तीसरा स्थान प्राप्त करके राज्य को श्रेय प्रदान किया है। हरियाणा सरकार की गन्ना मूल्य नीति ने पूरे देश को एक मार्ग निर्देश दिया है क्योंकि हरियाणा में किसानों को गन्ने की सबसे अधिक कीमल दी जाती है। अगले वर्ष कैंथल, भूना और महम में तीन और चीनी मिले चालू होने की संभावना है। वर्ष 1990-91 के दौरान सहकारिताओं के विकास के लिये 12 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, हमारी सहकारी ऋण संस्थाओं ने कर्जा माफी स्कीम को सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय भी प्राप्त किया है। हरको बैंक तथा

हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक ने 4 लाख 3 हजार व्यक्तियों को 34 करोड़ 28 लाख रुपये की कर्जा राहत ही है।

वन

हमारी सरकार ने पर्यावरण के सन्तुलन को बनाये रखने तथा वन क्षेत्र को बढाने के लिये वन स्रोतों के विकास पर भी विशेष बल दिया है। आरम्भ में वन अधीन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.6 प्रतिशत था जो हमारे निरन्तर प्रयास से बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान, 25 करोड़ रुपये के परिव्यय से 50,000 हैक्टैयर अतिरिक्त भूमि पर वृक्ष लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक वानिकी परियोजना तथा विकेन्द्रीकृत जन-नर्सरी कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। यह देखते हुए कि किसान को अपने वन-उत्पाद का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार ने किसानों से लाभदायक मूल्य पर वन उत्पाद खरीदने के लिये एक वन निगम का गठन किया है। विभाग को वर्ष 1990-91 के दौरान क्रेटों, सेवाओं के बकसो, फर्नीचर और लकड़ी के कोयले जैसे वाणिज्यिक कार्यों से 6.62 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की सभावना है। हम किसानों के खेतों के साथ-साथ लगे वृक्षों से होने वाली आय का आधा हिस्सा उन्हें देने के लिये भी वचनबद्ध है।

पशुपालन

कृषि अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में पशुपालन एवं डेरी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे मजबूत करने के लिये हमारे प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे। इस वर्ष के अन्त तक, हरियाणा में

495 प ु अस्पताल, 478 प ु—डिस्पेंसरियां 60 क्षेत्रीय कृत्रिम वीर्यसेचन केन्द्र और 777 प ुपालन केन्द्रों की सुविधायें उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त 8 जिलों में एकीकृत प ु विकास परियोजना भी चालू है। अगले वर्ष के दौरान एक पालीक्लिनिक, 40 प ु डिस्पेंसरिया खोलने और 30 विद्यमान प ु डिस्पेंसरियों का दर्जा बढ़ा कर प ु अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव है। विभाग के निरन्तर प्रयत्नों से वर्ष 1989—90 के अन्त तक 31.25 लाख टन दूध, 36.5 करोड़ अण्डे तथा 14 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन हो जाने का अनुमान है। आगामी वर्ष में इन कार्यों के लिये इनकी और भी तरक्की के लिये 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मत्स्य पालन

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य में मछली पालन को प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिये चालू वर्ष की योजना में 1 करोड़ 65 लाख रुपये के खर्च का प्रावधान था। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, जीन्द भिवानी और हिसार जिलों में मछली पालन विकास एजेसियों स्थापित की जा चुकी है। नये बनाए गए जिलों में भी मछली पालन विकास एजेसियां स्थापित करके मछली पालन को और बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। अगले वर्ष भिवानी जिले में सरकारी मछली बीज फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम बनाया गया है। राज्य में उचित मूल्य की कुल 6520 दुकानों है। जिनमें 4494 ग्रामीण क्षेत्रों में और 2026 भाहरी क्षेत्रों में है, इन के माध्यम से अनिवार्य वस्तुएं वहीं मात्रा में वितरित की जाती है। अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई और मूल्यों पर कारगर नियन्त्रण रखने

के लिये राज्य जिला तथा उपमंडल स्तर पर खाद्य सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

उद्योग

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी हमारा कार्य बड़ा सराहनीय रहा है। राज्य में लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़कर 89,330 तक जा पहुंची है। बड़े एवं मध्य दर्जे के उद्योगों की संख्या भी 403 हो चुकी है। संयुक्त तथा सहायता प्राप्त क्षेत्रों में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम की मार्फत अनेक परियोजनाये कार्यान्वित की जा रही है। जिला गुड़गांव में मानेसर में 85 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत की "वायरल-वैक्सीन" बनाने की एक परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस प्रकार जिला फरीदाबाद के गांव असावती में 18 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाने वाली भारतीय तेल निगम का "ल्यूब ब्लैण्डिंग प्लांट" मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में 5 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से मिनी सीमेट प्लांट और जिला गुड़गांव के मानेसर में ही 9 करोड़ रुपये की लागत से आई० बी० पी० एल० के विस्फोटक यूनिट स्थापित करने के लिये कार्यवाही भुरू कर दी गई है।

हरियाणा में उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिये उद्योग निदेशालय को तीन भागों अर्थात् बड़े तथा मध्यम उद्योग निदेशालय कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग निदेशालय तथा खनिज एवम् भू-विज्ञान निदेशालय में बांट दिया गया है। हमारी सरकार हरियाणा में औद्योगिक वातावरण विकसित करने को उच्च प्राथमिकता देती है और नये औद्योगिक यूनिटों की

स्थापना के लिए हम अनेक प्रोत्साहन दे रहे हैं। घाटा-ग्रस्त उद्योगों की समस्याओं से निपटने के लिये एक विशेष सैल स्थापित किया गया है जिसके द्वारा विक्री कर में छूट तथा बिजली भुक्त की छुट अधिक विद्युत सप्लाई और बकायाजात की वसूली के स्थगित जैसे अनेक राहत उपायों का प्रावधान किया गया है।

ऐसा देखने में आया कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने हेतु उद्योगपतियों को विभिन्न महकमों से सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिये हम ने राज्य के सभी जिलों में "एक खिड़की सेवा" आरम्भ की है और इस कार् की देख रेख उच्चाधिकारियों द्वारा की जाती है। इस अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में भाक्तियों दी गई है ताकि उद्योगों से सम्बन्धित आर्थिक सहायता, आर्थिक छूट प्लाटों का आबंटन कर्जों की स्वीकृति और इकाइयों के पंजीकरण सम्बन्धी सभी मामले, ये अपने स्तर पर ही निपटा सकें।

हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि खनिज तथा भू-विज्ञान विभाग के माध्यम से राज्य में उपलब्ध खनिजों और धातुओं के बारे में अच्छी तरह से सर्वेक्षण किया जाये जिसके फलस्वरूप हम इन प्राकृतिक साधनों का भी पूरा भाोशण कर सकें।

वर्ष 1989-90 में खनिजों से 6 करोड़ 50 लाख रुपये से भी अधिक आय होने की संभावना है अगले वित्त वर्ष में हम उद्योगों को बढ़ावा देने बारे अपने प्रयास जारी रखेंगे और इसी उद्दे य से 20 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है।

श्रम तथा रोजगार

हम राज्य में औद्योगिक भ्रान्ति बनाये रखने और उसे प्रोत्साहन देने के लिये निरन्तर प्रयासरत है। हमारी सरकार ने पहली जून 1989 से न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी नियमों में संशोधन करके औद्योगिक क्षेत्र में अकुशल कामगारों के लिये 800 रुपये प्रतिमास अथवा 30 रुपये 80 पैसे दैनिक और कृषि क्षेत्र के कामगारों के लिये 31 रुपये 80 पैसे दैनिक मजदूरी निर्धारित की है। न्यूनतम मजदूरी की ये दरें उत्तरी क्षेत्र में कदाचित्त सबसे अधिक है। श्रम कल्याण उपायों के अन्तर्गत 8 श्रम कल्याण केन्द्र और 11 परिवार गृह स्थापित किये गये हैं। अगले वर्ष भी इन कार्यों हेतु 6 लाख 87 हजार रुपये की राशि खर्च की जानी प्रस्तावित है। हरियाणा सरकार को बेरोजगार युवकों को भत्ता देने की स्कीम चलाने का भी श्रेय प्राप्त है और इस स्कीम के अन्तर्गत चालू वर्ष में 30 हजार बेरोजगार युवकों को यह भत्ता सहायता दी गई है। आगामी वर्ष में इसके लिये 5 करोड़ 90 लाख रुपये की धनराशि का खर्च प्रस्तावित किया गया है। पहली जून, 1989 से इस स्कीम के अन्तर्गत दसवीं, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास तथा स्नातक/स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को क्रमशः 50 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये प्रतिमास की दर से भत्ता दिया जा रहा है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में सही उपयोग करने हेतु एक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिशद् की स्थापना की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में दूरस्थ संवेदन तिल तकनीकी लागू करने के लिए हिसार में 2 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रयोग केन्द्र की स्थापना की गई है। इस सम्बन्ध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

के नियन्त्रण में "हरसैक" नामक एक स्वायत्त समिति स्थापित की गई है। स्वायत्त समिति ने पांच जिलों में बंजर भूमि की छांट कर कार्य पूर्ण कर लिया है तथा गुडगांव जिले का सर्वेक्षण भी कर लिया गया है। एक और परियोजना भुरु की गई है जिसके तहत भारत सरकार के अन्तरिक्ष विभाग की मदद से 22 लाख रुपये के खर्च से भिवानी जिले में वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान सूखे के प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा। वर्ष 1989-90 के दौरान 22.86 लाख रुपये की लागत से पलवल, गुडगांव और थानेसर के तीन खण्डों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम चालू किया गया है तथा हमारी योजना है कि अगले वर्ष हम दो और खण्डों में भी इस कार्यक्रम को भुरु करें। इस पर लगभग 65 लाख रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा ग्राम स्कीम के तहत हिसार जिले के संधलाना गांव को ऊर्जा ग्राम इसी वर्ष में बनाया गया है तथा अगले वर्ष भी एक और गांव को ऊर्जा ग्राम इसी वर्ष में बनाया गया है तथा अगले वर्ष भी एक और गांव को ऊर्जा ग्राम के रूप में विकसित किया जायेगा। वर्ष 1989-90 में ही 25 सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित करने का हमारा कार्यक्रम है। अगले साल एक और "बायो मास गैसी-फायर/स्टलिंग इंजन प्रणाली प्रदर्शन प्रयोग" नामक परियोजना पर 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कार्य भुरु करने का प्रस्ताव है। प्रबन्ध प्रणाली को अच्छा बनाने के लिये एक उद्यमी विकास सैल की कुरुक्षेत्र में स्थापना की गई है। वर्ष 1990-91 में भी विभिन्न ऊर्जा संरक्षण स्कीमों को पूरे जोर-शोर के साथ क्रियान्वित किया जायेगा जिसके लिये 2 करोड़ 5 लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है।

तकनीकी शिक्षा

उन्नत क्षेत्रों में इंजीनियरों तथा तकनीकी वि. शैक्षणिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व मानव संसाधनों के विकास हेतु राज्य की नीति में तकनीकी शिक्षा का विशेष स्थान है। उट्टावर, आदमपुर, सिरसा तथा मुरथल में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। नारनौल में एक नई बहु तकनीकी संस्था खोली जा रही है। सोनीपत में रसायन इंजीनियरिंग तथा मुरथल में कम्प्यूटर विज्ञान एक इंजीनियरिंग में नए पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

फरीदाबाद में महिलाओं के लिए एक बहुतकनीकी संस्था तथा हिसार में इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित करने का कार्य आगामी वर्ष में आरम्भ किया जाएगा। झज्जर में इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तथा मुरथल में रसायन इंजीनियरिंग के नए पाठ्यक्रम भी आगामी वर्ष के दौरान आरम्भ किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा के लिए 6 करोड़ 75 लाख रुपये का योजनागत परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा

राज्य सरकार तकनीकी कुशलता और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार को पूरी प्राथमिकता देती है। चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करनाल तथा सोनीपत में प्लास्टिक संसाधन आप्रेटर पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। विशेष संघटक योजना स्कीम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यमुनानगर तथा गुड़गांव में केवल अनुसूचित जातियों के लिये दो नये यूनिट भी खोले गए हैं। शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम के अन्तर्गत राज्य में 5,129 सीटें हैं जिन में से चालू वर्ष के दौरान 4,177 शिक्षु लगे हुए हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य के एक व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें शिक्षा को व्यवसाय-प्रधान बनाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। आगामी वर्ष में महिलाओं के लिये दो और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लियें 2 करोड़ 75 लाख रुपये का परिव्यय नियत किया गया है।

परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन का समस्त देा की परिवहन सेवाओं में अग्रणी स्थान रहा है। भारत सरकार के योजना आयोग ने, विभाग द्वारा प्राप्त परिचालक परिमाण के आधार पर हरियाणा राज्य परिवह को देा की सर्वोत्तम सेवाओं में माना है और इसे देा में "आदर्श परिवहन उपक्रम" का दर्जा दिया है। हमारी बसें इस समय 2,000 से अधिक मार्गों पर चलती हैं और इनमें प्रतिदिन लगभग 15 लाख यात्री 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। महत्वपूर्ण स्थानों को चण्डीगढ़ और दिल्ली से मिलाने के लिये वातानुकूलित, डीलक्स सेवायें तथा अर्ध-डीलक्स सेवायें आरम्भ की जा चुकी हैं। हमने गांवों तक पहुंचने वाली सड़कों पर मिनीबस सेवाओं की व्यवस्था करके अद्वितीय कदम उठाया है। चालू वर्ष के दौरान 16 करोड़ रुपये के खर्च से 387 पुरानी बसों को बदलने के अतिरिक्त 200 नई बसें खरीदी जा रही हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान 18 करोड़ रुपये के परिव्यय से 313 पुरानी बसों को बदलने के अतिरिक्त 128 और नई बसें लेने का प्रस्ताव है। दिसम्बर, 1990 के अन्त तक हमारा सभी गांवों तक बस सेवायें प्रदान करने का कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण स्थानों पर आधुनिक बस अड्डे बनाये जा रहे हैं। अच्छी किस्म की खाद्य सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध करवाने के लिये चरणबद्ध

कार्यक्रम के रूप में खान-पान सेवाये हरियाणा पर्यटन निगम को सौपी जा रही है। (तालिया)

हरियाणा राज्य परिवहन, जनता के विभिन्न वर्गों को मुफ्त यात्रा सुविधा दे रही है। इनमें सांसद, विधायक, भूतपूर्व विधायक, स्वतन्त्रता सेनानी तथा उनकी विधवाये नेत्रहीन व्यक्ति, मान्यता-प्राप्त संवाददाता, हरियाणा सरकार के डैक्स अधिकारी तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाये तथा उनके उत्तराधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निरीक्षक स्तर तक पुलिस अमले, मान्यता प्राप्त विद्यालयों महाविद्यालयों, के छात्रों को 60 किलोमीटर की दूरी तक, हरियाणा खेल समारोहों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, चण्डीगढ़ तथा पंचकूला में रहने वाले कर्मचारियों को घर से कार्यालय और वापसी 10 से अधिक फलदार पौधों को ले जाने वाले किसानों के कर्मचारियों को रियायती दरों पर मासिक पास की सुविधाये दी गई है। वर्ष 1987 में सत्ता में आने के बाद इस राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों तथा निगमों में साक्षात्कार हेतु आने-जाने वाले सभी बेरोजगार व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की है। हाल ही में इसी तरह की रियायती सुविधाये संयुक्त पंजाब के समय के भूतपूर्व सांसदों, विधायकों तथा विधान परिषद् के सदस्यों को भी हरियाणा में यात्रा के लिये दी गई है। मैंने जिन रियायतों का अभी जिक्र किया है उसकी वजह से राज-कोश पर लगभग 14 करोड़ रुपये वार्षिक का आर्थिक बोझ पड़ता है।

सड़के तथा पुल

आर्थिक विकास के लिये सड़के अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। चालू वर्ष के दौरान 270 किलोमीटर लम्बी नई सड़के बनाने की आशा है जबकि आगामी वर्ष में 220 किलोमीटर लम्बाई की नई सड़के बनाने का लक्ष्य है। वर्ष 1989-90 में 290 किलोमीटर लम्बाई की सड़को को सुदृढ़ तथा चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान 200 किलोमीटर लम्बी सड़को को सुदृढ़ व चौड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है। बल्लबगढ़ से हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार-मार्गी बनाने का काम एगि एयन विकास बैंक की सहायता से जनवरी, 1991 से शुरू किये जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त मुरथल से करनाल तक भोर ग्राह सूरी मार्ग को चार-मार्गी बनाने का काम भी 1990-91 के अन्त तक पूरा कर दिया जाएगा। राज्य की विभिन्न सड़कों पर 16 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। यह सब काम करने के लिए वर्ष 1990-91 में 20 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था प्रस्ताविक है। इसके अतिरिक्त हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा ग्राम सम्पर्क सड़को के रख-रखाव के साथ-साथ 14 करोड़ 62 लाख रुपये के खर्च से 450 किलोमीटर लम्बाई की सड़के बनाने का प्रस्ताव है।

रेल यात्रा के लिये बेहतर और नई सुविधाएँ जुटाने हेतु हमने रेल विभाग से जाखल से हनुमानगढ़ तक, रोहतक से हिसार तक ओर जगाधरी से चण्डीगढ़ तक नई बड़ी लाईन बिछाने तथा भिवानी-बठिन्डा अनुभाग को बड़ी लाईन में बदलने का अनुरोध किया है।

पर्यटन

हरियाणा की पर्यटक सुविधाएँ, देश भर में एक आदर्श बन गई हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान उदार केन्द्रीय सहायता से पिजौर में स्टाफ-क्वार्टर उचाना और काला-अम्ब में कैफेटेरिया, अबूबाहर में रेस्तराँ और आसाखेड़ा में स्टाफ-क्वार्टर पूरे हो चुके हैं। फरीदाबाद में एक गाल्फ कोर्स और बल्लबगढ़ में मोटल, रेस्तराँ तथा बार, केन्द्रीय सहायता से पूरे होने वाले हैं महम में चौबीसी का 'चबूतरा', ऐतिहासिक स्थल पर एक रेस्तराँ बन चुका है हरियाणा पर्यटन विभाग ने बल्लबगढ़, पानीपत, सिरसा, हिसार, और पिपली के बस अड्डों पर खान-पान की व्यवस्था की अतिरिक्त जिम्मेदारी सम्भाली हुई है। फरवरी, 1990 में सूरज-कुण्ड में एक काफ़्ट मेले का आयोजन किया गया जहाँ हमारे देश के शिल्पकारों द्वारा विविध शिल्प-कलाओं तथा पुरातन वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। यह मेला देखने के लिये दूर दराज से असंख्या लोग आए। इस विभाग की अगले वर्ष की विकास स्कीमों में गुडगांव जिला में दमदमा के समीप एक मनोरंजन पार्क की स्थापना और सिरसा जिला में आसाखेड़ा में एक संगीतमय फव्वारा शामिल है। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में हरियाणा में पर्यटन कार्यों को बढ़ावा देने के लिये 2 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। (तालिया)

स्वास्थ्य सेवाएँ

हमारी सरकार "2000 ईसवी तक सर्वसाधारण के लिये स्वास्थ्य सुविधा" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य समय से पूर्व प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य-सुविधाओं का विस्तार करने के लिये

1989-90 के दौरान 161 उप केन्द्र 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 सामुदायिक केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है और वर्ष 1990-91 के दौरान वर्तमान आधारित संरचना में सात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दो चलदंल-चिकित्सा यूनिट शामिल कर दिये जायेंगे। वर्ष 1990-91 के लिये 15 करोड़ 10 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत मास जनवरी, 1990 तक 67,227 नलबन्दी अथवा नसबन्दी आप्रे ान और राष्ट्रीय नेत्रहीनता कार्यक्रम के अन्तर्गत 22,829 आंखों के आप्रे ान किये गए हैं।

वर्ष 1989-90 के दौरान 5,514 और बीमाकृत औद्योगिक कामगारों को राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है तथा अगले वर्ष 2,550 और कामगारों का बीमा किया जायेगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिये 65 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

महाराज अग्रसेन चिकित्सा ि ाक्षा और अनुसंधान संस्थान, अग्रोहा में स्थापित किया गया है जिसके लिए 50 विद्यार्थियों का दाखिला भी किया गया है। मुझे अपने साथियों को यह बताते हुए खु ि हो रहीं है कि योजना आयोग ने इस प्रोजैक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का निर्माण कार्य सरकारी निधि और जनता के आर्थिक सहयोग से आगामी वर्ष के दौरान वस्तुतः आरम्भ कर दिया जायेगा।

हम चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक में तकनीकी जन भाक्ति और सुविधाएं बढ़ाने के लिए उत्सुक है, विकिरण चिकित्सा में एम0 डी0 व डिप्लोमा तथा आर्थोडान्टिक्स/प्रास्थोडान्टिक्स में एम0 डी0 जैसे नये पाठ्यक्रम भुरु कर दिये गए है। दन्त स्वास्थ्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भुरु किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक में वर्तमान आधारिक संरचना और बढ़ाने के लिये 6 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा

शिक्षा का विकास तथा निरक्षरता का उन्मूलन हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। जन-साधानण के लिये प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार हेतु अगर से एक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों की शिक्षा से संबन्धित लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिये गये है। लड़कियों की शिक्षा में हमारी उपलब्धि 90 प्रतिशत तक सीमित है। सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान 507 प्राइमरी और 328 मिडल स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर क्रम 1: मिडल व उच्च विद्यालय स्तर का बना दिया गया है। अगले वर्ष के दौरान 100 प्राइमरी, 50 मिडल तथा 25 उच्च विद्यालयों का अगले स्तर तक दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये चालू वर्ष के दौरान 100 और विद्यालय खोले जा रहे है। वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 4 करोड़ 88 लाख रूपये के विशेष अनुदान से चालू वर्ष के दौरान 488 प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य चलाया जा रहा है। वर्ष 1989-90 के दौरान 1,497 अतिरिक्त विद्यालयों को "आप्रेतन ब्लैक बोर्ड" स्कीम

के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। सरकार के विशेष प्रयास है कि अनुसूचित जातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे अधिक-से-अधिक संख्या में स्कूलों में आयें और शिक्षा ग्रहण करें। इन स्कीमों को अच्छी तरह चलाने के लिये इन बच्चों को मुफ्त लेखन सामग्री, फीस, वर्दी आदि के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। हमारी सरकार की एक और अनूठी योजना के तहत घुमन्तु कबीलो के बच्चों को स्कूलों में आकर्षित करने के लिये एक रूपया प्रतिदिन उपस्थिति की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। अगले वर्ष के दौरान इन घुमन्तु कबीलो के 22 हजार बच्चों तक यह लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव है।

231 स्कूलों तथा 117 महाविद्यालयों में 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली की सुविधा उपलब्ध हैं गुड़गांव तथा सोनीपत में जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थाओं ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक नवोदय विद्यालय खोला जाना है। 9 जिलों के लिये नवोदय विद्यालयों को मंजूर किया जा चुका है और भोश जिलों को चरणबद्ध रूप में इस स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

हम ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये उत्सुक हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान तावड़ में राजकीय महाविद्यालय खोला गया है और अगले वर्ष राज्य में दो राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान तीन महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षाएँ तथा चार महाविद्यालयों में नये विषय आरम्भ किये गये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान तीन महाविद्यालयों में विज्ञान विषय और स्नातकोत्तर स्तर पर रोजगार-उन्मुखी कार्यक्रम तथा नये विषय आरम्भ करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 के दौरान एक ओपन यूनिवर्सिटी अथवा दूरस्थ शिक्षा यूनिट स्थापित करने तथा प्रयोगत्मक आधार पर कुछ महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालयों में बदलने का भी प्रस्ताव है। हमारे राज्य को सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने में उत्तर भारत का सर्वप्रथम राज्य होने का गौरव प्राप्त है। नये बने चार जिलों में उस मण्डलीय स्तर के पुस्तकालयों का दर्जा बढ़ा कर जिला पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव है।

खेल-कुद

युवावर्ग में अनुासन, धैर्य, सहन शीलता तथा नेतृत्व के गुण विकसित करने में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमने खेलकूद-प्रतिभा को विकसित करने के लिये कुती, जिमनास्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण खेलों के लिए विभिन्न स्कीमें भुरु की है। परिणामस्वरूप हमारे राज्य में अनेक प्रतिभा शाली खिलाड़ी उभरे हैं जिससे राज्य और देश को सम्मान मिला है। मास दिसम्बर, 1989 में पश्चिमी बंगाल में भद्रे वर में हुई राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में हमारी योग टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम राज्य के प्रत्येक जिले के खिलाड़ियों को आधारभूत सुविधायें देते का प्रयास कर रहे हैं। कुती को प्रोत्साहन देने के लिये, हमारे राज्य ने पहली बार 11 खलीफों को 200 रूपये के योजनागत परिव्यय से वर्ष 1990-91 के दौरान खेलकूद को और विकसित करने का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण

हमारे राज्य के वृद्ध नागरिकों को सुरक्षा तथा आत्म-सम्मान प्रदान करने के लिये हमारी सरकार ने जो वृद्धावस्था पेान स्कीम चलाई है वह अपने आप में बेजोड़ है और पूरे राष्ट्र भर में इस स्कीम की बदौलत हरियाणा को एक विशेष स्थान मिला है। इस वर्ष 7 लाख 77 हजार लोगों का वृद्धावस्था पेान का लाभ पहुंचा है जिस पर 104.43 करोड़ रूपये का खर्चा हुआ है। वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के तहत हमने 101 करोड़ 57 लाख रूपये का प्रावधान रखा है जिससे 8 लाख 48 हजार लोग लाभान्वित होंगे। इस प्रकार पेान स्कीम के तहत भारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, वे सहारा

महिलाओं और विधवाओं को जो लाभ प्राप्त हो रहा है, वह आगमी वर्ष में जारी रखा जायेगा। इस श्रेणी में आने वाले लाभधियों को मौजूदा साल में विशेष लाभ दिये गये हैं। जहां इस लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की पात्रता के लिये 50 रुपये मासिक आमदनी की सीमा थी उसे बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमास कर दिया गया है और पे ंन की दर 50 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 75 रुपये प्रतिमास कर दी गई है। उपेक्षित और अपचारी बच्चों के पुनर्वास के लिये बालक न्याय अधिनियम के तहत हर जिले में एक-एक अपचारी कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है। हमारे कल्याण निगमों और स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता से महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्कीमें चलाई जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिये वर्ष 1990-91 के दौरान 141 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य दलित वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिये अनेक कार्य किये जा रहे हैं जिनमें हरिजन बस्तियों को सुधार, आवास सहायता, पेयजल की सुविधा व हरिजन चौपाल आदि बनाने की स्कीमें वर्गनीय हैं। इन वर्गों के बच्चों में शिक्षा का प्रसार करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। उन उपायों को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने आठवीं श्रेणी के विद्यार्थियों के लिये लेखन सामग्री अनुदान की राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिवर्ष और उच्च श्रेणियों के लिये 40 रुपये से 60 रुपये प्रतिवर्ष कर दी है। इसी प्रकार नौवीं, दसवीं व ग्यारहवीं जमातों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो वजीफा दिया जाता था उसकी राशि

क्रम T: 40, 50 व 60 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 80, 100 व 120 रुपये प्रतिमास कर दी गई है। अनुसूचित जातियों के लिये हमारी सरकार ने एक और नई स्कीम इस साल चालू की है जिसके तहत पहले दो बच्चों के जन्म के समय जच्चा को अच्छी खुराक व देखभाल के लिये 300 रुपये की राशि दी जाती है। आगामी वर्ष में इस उद्देश्य के लिये 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने मास नवम्बर, 1989 तक 90 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी की सहायता से 7,348 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया है। हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम को मौजूदा साल में 40 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी दी गई है तथा अगले वर्ष 50 लाख रुपये बतौर हिस्सा पूंजी देने का प्रावधान रखा गया है।

विशेष संघटक योजना

हमारी सरकार इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को विशेष महत्व देती है। चालू वर्ष में इस योजना के तहत योजना परिव्यय के 596.69 करोड़ रुपये में से 71.12 करोड़ रुपये का खर्चा निर्धारित किया है। मास जनवरी, 1990 तक विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 28,475 परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगले वर्ष के 700 करोड़ रुपये के अनुमोदित योजना परिव्यय में से 81.74 करोड़ रुपये इस योजना हेतु खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

मेवात विकास बोर्ड

हमारी सरकार की नीति रही है। कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर हम विशेष बल दे। इसी सम्बंध में मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से अनेक विकास की स्कीमें क्रियान्वित की जा रही है। रोजका मेव में औद्योगिक कम्पलैक्स की जो रूप-रेखा उभरी है इससे उस क्षेत्र के बदलते स्वरूप की झलक मिलती है। मेवाल विकास बोर्ड के जरिये विभिन्न विकास की स्कीमों पर जहां 2.25 करोड़ रुपये का खर्चा मौजूदा साल में किया गया है वहीं अगले वर्ष के लिये हमने 3 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

मैचिंग ग्रांट योजना

हरियाणा राज्य मैचिंग ग्रांट स्कीम शुरू करने में अग्रणी रहा है। इसी स्कीम के माध्यम से हम अपने सभी विकास एवं जनहित कार्यों में जनता का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहे हैं। लोगों ने इस स्कीम को बहुत पसंद किया है। इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 31 मार्च, 1989 तक 3,938 विकास कार्यों के लिये राज्य के हिस्से के रूप में 8 करोड़ 3 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। मैचिंग ग्रांट स्कीम के कार्यक्षेत्र को और बढ़ा दिया गया है तथा इसे कार्यान्वित करने के लिये नीचे के स्तर पर पर्याप्त भाक्तियां दी गई हैं। महत्वपूर्ण विकास एवं जनहित कार्यों को सम्पन्न करने में इस स्कीम का भारी योगदान है। तथा इसी के परिणामस्वरूप इस वर्ष में राज्य का अंशदान एक करोड़ तीस लाख रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ 80 लाख रुपये कर दिया गया है। महिला-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने इस वर्ष कन्या विद्यालयों के भवन-निर्माण हेतु अपने अंशदान को जनता के अंशदान की राशि के बराबर से बढ़ाकर दो गुना कर देने का निर्णय किया है। हम

आगामी वर्ष भी इस स्कीम को जारी रखेंगे जिसके लिये राज्य के अंशदान के रूप में एक करोड़ 45 लाख रुपये की राशि के प्रावधान की व्यवस्था की है।

हमारी सरकार पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की इच्छुक है। इसी उद्देश्य से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बिकने वाली देसी भाराब की प्रत्येक बोतल पर एक रुपये की दर से अतिरिक्त भुल्क लगाने का निर्णय लिया। इसके दृष्टिगत हमने इस वर्ष 2 करोड़ रुपये की राशि पंचायतों, पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं को पहले ही दे और पूरे वर्ष के लिये 5 करोड़ 39 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार इस स्कीम को आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रखेगी जिसके लिये 5 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को रियासतें

जहां आबकारी तथा कराधान विभाग ने चालू वर्ष में जनवरी, 1990 वसूलियों में पिछले वर्ष की आमदनी से 14.91 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है, वहां हमने कर प्रणाली में सुधार लाने तथा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को और रियासतें व सुविधाएं देने के लिये भी ठोस कदम उठाए हैं। हम व्यापारी-वर्ग की कार्य संबंधी कठिनाइयां समझते हैं और उनको कुछ सीमा तक कम करने के लिये हमने 1-10-89 से संक्षिप्त कर निर्धारण के लिये आयसीमा 3.00 लाख रुपये से बढ़ा कर 5.00 लाख रुपये कर दी है। इसी प्रकार लेखा-पुस्तके न बनाने अथवा उन्हें व्यापार के स्थान पर न रखने के लिये जुर्माना 5,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया है। कर

राहत की दि 11 में कम्बलों, खान्डसारी तथा बूरा पर से कर हटा दिये गये है और गेहूँ—उत्पाद, डबलरोटी, बीजों तथा छोटी कारों पर करों की दरें कम कर दी गई है। सीमेन्ट को छोड़ अनुसूची “क” में वर्णित आरामदेह वस्तुओं पर कर की दर 12 प्रति 100 से घटाकर 10 प्रति 100 कर दी गई है। नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार की नीति के अनुसार 33 नये उद्योगों को बिक्री कर से छूट अथवा स्थगन लाभ दिया गया है। कर की चोरी को रोकने के लिये मुख्यालय पर चौकसी विंग खोलने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मैंने वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों में जिन विभिन्न योजनाओं का अभी जिक्र किया है उनमें 142 करोड़ 91 लाख रुपये की ऐसी स्कीमें भी शामिल है जो केन्द्र सरकार की सहायता से पूरी होंगी। परिणाम—स्वरूप, अनेक केन्द्र सरकार की सहायता से पूरी होंगी। चालू वर्ष के साथ ही सातवीं पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो जाएगी। परिणाम—स्वरूप, अनेक केन्द्र चालित स्कीमों को चालू रखने के लिए इन्हे राज्य क्षेत्र को अन्तरित किये जाने की सम्भावना है जिससे गैर योजना खर्च में आर्थिक भार और भी बढ़ जाएगा। हम इस मामले में केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि वे ऐसी स्कीमें राज्य क्षेत्र में अन्तरित करने के बदले हमें एकमु त आर्थिक सहायता दे।

संसाधन संग्रह

सरकार इस मूल सिद्धान्त से अवगत है कि महत्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी विकास स्कीमों को कार्यरूप देने और लोगों को पर्याप्त सेवाएं एवं सुविधाएं, जुटाने के लिये संसाधन—आधान सुदृढ़

होना अति आवश्यक है। इस दृष्टि से सरकार ने पहले एक संसाधन समिति गठित की थी जिसे अब "रिसोसिज एवं इकोनोमी कमेटी" का नाम दिया गया है। यह समिति ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां किफायत की जा सके तथा यह नए साधनों की तलाश करने में अपना बहुमूल्य परामर्श भी देगी। इसी प्रकार हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया है जो कार्य प्रणाली में सुधार, अनुशासन रखने और कर्मचारियों की कार्य-कुशलता में पर्याप्त सुधार लाने के लिये उपायों की सिफारिश करेगी। विभिन्न स्थानों पर बेकार पड़ी व प्रयोग में न लाई जाने वाली सरकारी जमीनों को आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग में लाया गया है जिससे राज्य सरकार को अतिरिक्त आय भी हुई है। इसी प्रकार परित्यक्त सम्पत्तियों (Evacuee Properties) के कब्जों को नियमित करने से सरकार को लगातार आमदनी हो रही है। अचल सम्पत्ति के कम मूल्यांकन को रोकने के लिये किये गये उपायों के परिणामस्वरूप 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। लघु बचत स्कीम अभियान के अन्तर्गत जनता द्वारा अधिक से अधिक धन-राशि जमा करवाने पर जोर दिया जा रहा है जिससे भी राज्य के आय साधनों में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार को वर्ष 1988-89 में लघु बचतों की वजह से भारत सरकार से 173 करोड़ 36 लाख रुपये की कर्जा सहायता मिली है और हमें इस वर्ष भी लगभग इतनी ही सहायता मिलने की आशा है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों तथा निगमों को परामर्श दिया गया है कि वे देय बकाया राशियों की वसूली करें और खर्च-प्रक्रिया को बेहतर बनाने के भरसक प्रयास करें ताकि फिजूल खर्च को रोका जा सके।

इन प्रयासों के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि गैर-विकास खर्चों में अभी भी बचत करने की गुंजाइश है। हम फालतू खर्च को कम करने व खर्च मानकों की पूरी तरह छान-बीन करके विकास कार्यों के लिये धन बचाने के भरसक प्रयास जारी रखेंगे।

नौवां वित्त आयोग

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि नौवें वित्तायोग की सिफारिशों केन्द्र से राज्यों को निधियों के अन्तरण के लिये मार्गदर्शन सिद्धान्त तय करती है। वित्तायोग द्वारा दी गई पहली रिपोर्ट में उसका फैसला हरियाणा जैसे समृद्ध एवं कुशल राजस्व प्रबन्ध राज्यों के लिये उत्साहबर्द्धक नहीं रहा क्योंकि आयोग की सिफारिशों का झुकाव घाटे वाले और पिछड़े राज्यों को सहायता देने की ओर अधिक रहा है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपनी सिफारिशों करते समय वित्तयोग ने हरियाणा जैसे कुशल राजस्व प्रबन्ध और वित्तीय अनुशासन बनाये रखने जैसे विचारणीय विशयों को नजर-अन्दाज करके अपने ही मापदण्डों की अवहेलना की है। आयोग द्वारा अपनाई गई इस एकतरफा प्रणाली के कारण न केवल विभाज्य करों में हमारे आनुपातिक हिस्से में कमी आई है बल्कि आयोग द्वारा घाटे को पूरा करने व सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिये राज्यों के लिये प्रस्तावित 1,156 करोड़ रुपये की अनुदान राशि में से भी हमें कोई हिस्सा नहीं मिला। हमने विभिन्न मन्त्रों से आयोग के इस रवैये के विरुद्ध अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। हमने वित्त आयोग के द्वारा विचारणीय विशयों पर भी आपत्ति जाहिर की

थी और दूसरे राज्यों के साथ मिलकर अपनी सिफारिशें दी थी। परन्तु आयोग द्वारा उन्हें ध्यान में न रखने से हमें निराशा हुई है।

यद्यपि यह खुशी की बात अवश्य है कि नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने हमारे राज्य के कुल राजस्व प्रबन्ध की प्रशंसा करते हुये हमें दो विशेष अनुदान दिये हैं। इनमें एक अनुदान 20 करोड़ रुपये की राशि का है जो पुलिस सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिये दिया गया है और दूसरा 4 करोड़ 88 लाख रुपये का अनुदान प्राथमिक स्कूल भवन बनाने के लिये दिया गया है। इस अनुदानों का सही तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। इस अनुदानों का सही तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। हमने कुछ और ऐसे मूल क्षेत्र चुने हैं जहां सेवाओं के स्तर की बढ़ाने की आवश्यकता है और आयोग को दिये गये ज्ञापन में यह अनुरोध किया गया है कि वह अपनी दूसरी रिपोर्ट में अगले 5 साला योजना के लिये दी गई हमारी 639 करोड़ 17 लाख रुपये की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। इससे वर्ष 1990-91 के लिये 123 करोड़ 57 लाख रुपये के अनुदान की मांग भी शामिल है। वित्तायोग की दूसरी रिपोर्ट भी 12 मार्च, 1990 को संसद के सामने पेश कर दी गई है। केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट को सिद्धान्त रूप में मंजूर कर लिया है। जब तक इस रिपोर्ट का विस्तृत ब्योरा नहीं मिल जाता तब तक हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हरियाणा को इससे क्या लाभ होगा। तथापि मैं आशा करता हूँ कि हमारे राज्य को कुछ आर्थिक लाभ तो मिलना ही चाहिये।

संशोधित अनुमान 1989-90

वर्ष 1989-90 के संशोधित अनुमान, चालू वर्ष के लिये बजट अनुमानों की प्रस्तुत करने के बाद के हालातों को ध्यान में रखते हुए, यह दर्शाते हैं कि रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार यह वित्त वर्ष बजट अनुमानों में दिखाते गये 36 करोड़ 24 लाख रुपये के घाटे के मुकाबले 19 करोड़ 33 लाख रुपये के घाटे से समाप्त होगा। ये आंकड़े हमारी सरकार की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के होते हुए भी कुशल वित्त प्रबन्ध को बनाए रखने के इरादे दर्शाते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान हमारी वित्त व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के दबाव पड़े हैं जिनके फलस्वरूप हमें अपनी कुछ प्राथमिकता वाली योजनाओं के परिव्यय में काट-छांट करनी पड़ी ताकि हमारे साधन परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप हो जायें। अतः अपने साधनों तथा योजना खर्च के मध्य ताल-मेल को ध्यान में रखते हुए हमने 676 करोड़ रुपये के मूल परिव्यय को संशोधित करके योजना का आकार 596 करोड़ 69 लाख रुपये रखा है।

वर्ष 1989-90 के बजट अनुमानों में 19 करोड़ 78 लाख रुपये का प्रारम्भिक घाटा माना गया था, लेकिन वास्तव में वर्ष 1989-90, रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार, 12 करोड़ 42 लाख रुपये के मुनाफे के साथ आरम्भ हुआ। इस मुनाफे में 31 मार्च, 1989 को राज्य द्वारा धारित 76 करोड़ 75 लाख रुपये के खजाना बिलों को समायोजित किया गया है। इससे जाहिर होता है कि पिछले वर्ष के दौरान राज्य का वित्तीय प्रबन्ध बहुत अच्छा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य की अर्थ व्यवस्था पर कई कारणों से भारी दबाव पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को जनवरी, 1989 तथा जुलाई, 1989 से देय दो मंहगाई भत्ते की किले देने राजकीय कोश

पर 32 करोड़ 58 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। हमें, न्यायालय के निर्णयों के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले अध्यापकों को देय बकाया राशि का भुगतान करने के लिये शिक्षा विभाग को 20 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि तथा कृषि विविद्यालय को संशोधित वेतल-मानों के कारण बकाया देयता के लिये 2 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करनी पड़ी है। हमारी सरकार, अपने नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। हमने आंतकवादियों की गतिविधियों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिये अपनी कानून तथा व्यवस्था मंजरी को मजबूत करने के लिये 12 करोड़ 78 लाख रुपये अतिरिक्त रूप में खर्च किये हैं। ग्रामीण जनता को निरन्तर जल सप्लाई सुनिश्चित करने के विचार से, हमने ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के उचित रख-रखाव के लिए 5 करोड़ 98 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि तथा पक्के नालों के रख-रखाव के लिये 3.00 करोड़ रुपये की राशि का खर्च किया है। मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में भूमि अभिग्रहण के बढ़े हुए मुआवजे की अदायगी के लिये 6 करोड़ 80 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि और विकलांग तथा विधवाओं को बढ़ी हुई दरों पर पेन्शन देने के लिये एक करोड़ 77 लाख रुपये की राशि अतिरिक्त रूप में खर्च करनी पड़ी है। हमने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और अन्य सहायता-प्राप्त संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के विचार से उनको 3 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि उपलक्ष्य में चार नये जिले बनाये गए हैं जिससे राजकीय कोश पर एक करोड़ 62 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। हमने गैर विकास खर्च को कम से कम स्तर पर रखने की कोशिश की है, किन्तु साथ में यह भी ध्यान

रखा गया है कि धन की कमी के कारण बिजली, सिंचाई और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न पड़े।

हमने लघु बचन संग्रहण व इस प्रकार के अन्य साधनों से अधिक से अधिक धन जुटाने के लिये भरसक प्रयत्न किये हैं लेकिन यह ध्यान रखा है कि हमारे नागरिकों पर कोई अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े। सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त में कम-मूल्यांकन की प्रवृत्ति को घटाने या समाप्त करने के हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप हमें लगभग 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है।

बजट अनुमान तथा वार्षिक योजना 1990-91

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं, इस सदन के सम्मुख वर्ष 1990-91 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1989-90 के संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों के आधार पर राज्य की वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा दिया गया है:-

(रुपए करोड़ों में)

संघटक	संशोधित अनुमान 1988-89	लेखे 1988-89	बजट अनुमान 1989-90	संशोधित अनुमान 1989-90	बजट अनुमान 1990-91
1	2	3	4	5	6
1 अथ भोश					
(क) महोलेखाकार के अनुसार	(-)29.75	(-)29.75	(-)41.02	(-)72.24	(-)130.99
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(-)7.51	(-)7.51	(-)19.78	(+)12.42'	(-)19.33

(ग) प्रतिभूतियों में निवेश	6.98	7.98	7.98	7.98	7.98
2 राजस्व लेखा प्राप्तियां	1458.60	1441.08	1665.52	1719.69	1894.14
खर्च	1512.76	1442.93	1623.35	1779.68	1515.98
अधिशेष(+)/घाटा (-)	(-)53.91	(-)1.85	(+)42.17	(-)59.99	(-)21.84
3 पूंजीगत खर्च	132.12	140.15	126.89	90.02	151.26
4. सार्वजनिक ऋण					
लिया गया ऋण	409.65	444.93	610.28	440.39	533.27
भुगतान	216.67	257.80	416.51	238.87	304.92
निवल	(+)192.98	(+)187.13	(+)193.77	(+)201.52	(+)248.35
5. कर्जें और पै गियां					
पै गियां	188.28	170.93	241.80	199.31	217.61

वसूलियां	26.50	23.93	32.82	24.42	30.98
निवल	(-)161.78	(-)147.00	(-)208.98	(-)174.89	186.53
6. अन्तर्राज्यीत निपटान	—	—	—	—	—
7. आकस्मिकता निधि मे विनियोग	—	—	—	—	—
8. आकस्मिकता निधि निवल	—	(-)0.59	—	—	—
9. छोटी बचते, भविश्य निधि आदि निवल	(+)86.74	(+)96.67	(+)53.27	(+)58.89	(+)78.07
10. जमा तथा पे गियां—					
आरक्षितनिधियां, निलम्बित तथा विविध निवल	(+)55.82	(--)36.70	(+)53.20	(+)58.89	(+)78.07
11. प्रेशण (निवल)	---	---	---	---	---
12. वर्षा का इति भोश					

(क) (1) महालेखाकार के अनुसार	(--) 42. 02	(--) 72.24	(--) 58.48	(--) 103.99	(--) 115.85
(2) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(--) 19.78	(+) 12.42	(--) 36.24	(--) 19.33	(--) 31.17
(ख) प्रतिभूतियों में निवेश	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचिम 31 मार्च, 1989 को बकाया 76.75 करोड़ रुपए के खजाना बिलों के समायोजन के पश्चात्:

इस विवरण से यह पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार वर्ष 1990-91 के अन्त में 31 करोड़ 33 लाख रुपये का घाटा होने की सम्भावना है जबकि वर्ष के आरम्भ में 19 करोड़ 33 लाख रुपये का घाटा सम्भावित है। वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों में राज्य योजनागत परिव्यय के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के अतिरिक्त 142 करोड़ 91 लाख रुपये का प्रावधान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए भी किया गया है। सिंचाई एवं बिजली क्षेत्रों के लिए 290 करोड़ 70 लाख रुपये का संयुक्त परिव्यय चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय से 31.11 प्रतिशत अधिक है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए तथा विकेन्द्रीकृत योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के मुकाबले क्रमशः 21.28 प्रतिशत तथा 220 प्रतिशत अधिक है। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि हमने कृषि एवं उद्योग के विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी है।

वर्ष 1990-91 के दौरान राजस्व घाटे में, इस वर्ष के 59 करोड़ 99 लाख रुपये के संशोधित घाटे के मुकाबले 38 करोड़ 15 लाख रुपये की कमी होने की सम्भावना है। इससे यह संकेत मिलता है कि आय प्राप्तियों में निरन्तर वृद्धि जारी रहेगी तथा गैर-योजना एवं अनावश्यक खर्चों में कमी कर दी गई है। भुद्ध सार्वजनिक ऋण 248 करोड़ 35 लाख रुपये का उपलब्ध होगा। कर तथा गैर कर राजस्व प्राप्तियों का जायजा अधिकतर पूर्व विकास दरों को ध्यान में रख कर लिया गया है और नौवें

वित्तायोग की सिफारिशों को कर राजस्व, ब्याज, प्राप्तियों, जल प्रभार तथा परिवहन सेवाओं जैसी उन मदों के मामले में, जहां ऐसा करना उचित समझा गया, नजरंदाज किया गया है। उदाहरणस्वरूप राज्य उत्पाद भुल्क तथा स्टैम्प एवं पंजीकरण से प्राप्तियों में क्रम 1: 20 प्रति 100 तथा 12 प्रति 100 की दर से वृद्धि की परिकल्पना की गई है। हमें पूर्ण आशा है कि कर चोरी निरोधक उपायों के लागू करने के फलस्वरूप राज्य उत्पाद भुल्क एवं बिक्री कर से और अधिक राजस्व प्राप्त होगा। हमने भारत सरकार से भी पुरजोर अनुरोध किया है कि "कनसाईनमैट टैक्स" को अति भीघ्र लगाया जाये क्योंकि इस साधन से राज्य सरकार को प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये की आय होने की सम्भावना है। गैर योजना खर्च अनुमान तैयार करते समय आमतौर पर नौवे वित्तायोग के मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखा गया है। राजस्व लेखे में गैर-योजना खर्च की वृद्धि को सामान्य स्तर पर ही रखा गया है। तथापि, वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को अगले वर्ष 36 करोड़ रुपये की सबसिडी दी जानी प्रस्तावित है। छोटे नालों को पक्का करने पर किसानों के हिस्से के खर्च को माफ करने के एवज में राज्य लघु-सिंचाई एवं नलकूप निगम को 21 करोड़ 93 लाख रुपये के अनुदान की तथा सहकारिता विभाग को अल्पकालिक तथा, मध्यकालिक कर्जा को माफ करने के एवज में 6 करोड़ 68 लाख रुपये देने की व्यवस्था की गई है।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि बजट घाटे को न्यूनतम स्तर पर तथा सीमा के अन्दर ही रखा गया है। हम 31 करोड़ 19 लाख रुपये के घाटे को, राजस्व करों की बेहतर वसूली से तथा अनावयक एवं गैर-योजना खर्चा में किफायत करके, पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें ताकि अच्छी फसलों से हुए अन्दरूनी साधनों में सम्भावित उछाल से हम अपने बजट घाटे को पूरा कर सकें। इसीलिए मैंने अगले वर्ष में कोई नये कर लगाने अथवा वर्तमान करों या उद्ग्रहणों की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है, क्योंकि मैं न तो राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का बोझ डालना चाहता हूँ और न ही अपने राज्य के नागरिकों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार डालना चाहता हूँ। तथापि, राज्य सरकार को विकास गील आवयकताओं को पूरा करने के लिए परिवहन तथा विद्युत जैसी आवयक सेवाओं की व्यवस्था से और अधिक कार्य-कुशलता लानी होगी।

सरकारी कर्मचारियों को सुविधा

विभिन्न विकास गील एवं कल्याणकारी योजनाओं के बनाने एवं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में हमारी सरकार अपने कर्मचारियों के योगदान की सराहना करती है। अपने कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखना हमारा कर्तव्य है। हम कर्मचारियों की आवासीय जरूरतों की पूर्ति में कठिनाइयों को महसूस करते हैं। इसी के दृष्टिगत उनकी धन सम्बंधी आवयकताओं को पूर करने

के लिये हमने भवन-निर्माण ऋण के लिये एक लाख रुपये या 35 महीनों के वेतन के बराबर राशि की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपये या 60 महीनों का वेतन के बराबर राशि, जो भी कम हो, कर दिया है। इसी उद्देश्य से मकान की मुरम्मत अथवा विस्तार के लिये भी ऋण की भातों को बढ़ाकर क्रम 1: 10 महीनों के वेतन तथा 12 महीने के वेतन के बराबर कर दिया है। आवासीय प्लॉट खरीदने के लिये वर्तमान सीमा को बढ़ाकर भवन निर्माण ऋण की देयता के 60 प्रतिशत के बराबर या एक लाख 10 हजार रुपये, जो भी कम हों, कर दिया गया है।

हमारी सरकार ने अपने कर्मचारियों को जनवरी, 1989 तथा जुलाई, 1989 से देय दो मंहगाई भत्ते की किस्तें भी दे दी है जिससे राजकीय कोश पर लगभग 32 करोड़ 58 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

हमारी सरकार अपने पेंशन-भोगियों के कल्याण के प्रति भी जागरूक है तथा उन्हें भी पहले वर्णित दोनों किस्तें दे दी गई है। इसके अतिरिक्त उन पेंशन-भोगियों को जो 31-3-1979 तक सेवा निवृत्त हो गये हैं और जो 500 रुपये तक या इससे अधिक पेंशन पर रहे हैं, उनको क्रम 1: 50 रुपये और 100 रुपये का कम से कम अतिरिक्त लाभ दिया गया है। यही लाभ उन पेंशन भोगियों को भी दिया गया है जो 31-3-1985 से पहले सेवा निवृत्त हुये हैं।

हरियाणा पहला ऐसा राज है जहां चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया गया। वेतनमानों में पाई गई विसंगतियों को दूर करने के लिये गठित आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही आयोग की सिफारिशों बारे निर्णय ले लिया जायेगा। तथापि, इंजीनियरों, डाक्टरों तथा पुलिस उप-अधीक्षकों के वेतनमानों को पहले ही संशोधित किया जा चुका है।

मुझे यह घोशणा करते हुये खुशी महसूस हो रही है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारी सरकार ने भारत सरकार की पद्धति पर उन कर्मचारियों को 27 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का निर्णय किया है, जो किसी उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस स्कीम या अन्य बोनस या किसी अन्य अनुग्रह स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते। इससे सरकारी कोश पर लगभग 27 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। परन्तु इसी वर्ष हमने पेंशन भोगियों को लाभ व न्यायालयों के आदेशानुसार सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को देय वेतन के बकायों की अदायगी आदि की है। इससे सरकार की कठिन अर्थोपाय स्थिति पर और भी अधिक भार बढ़ा है इसी कठिनाई की वजह से मजबूरन मुझे यह फैसला लेना पड़ा है कि पिछले वर्ष की तरह बोनस को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया

जायेगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे कर्मचारी मेरी इस कठिनाई को समझेंगे और मुझे अपना पूर्ण सहयोग एवं योगदान देंगे।

हमारे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो पर्याप्त पदोन्नति के अवसरों के अभाव में अपने ही वेतनमान में अटके रहते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु एक "समयबद्ध एडवांसमेंट स्कीम" शुरू करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 10 वर्ष की सेवा अवधि और 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर दी जायेगी। इससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि में कम से कम दो "एडवांसमेंट" का लाभ मिले। यह सुविधा "परमो ग्रेजुअल वेतनमाल" के रूप में उपलब्ध होगी। इससे राजकीय कोश पर चार से पांच करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। (तालियां)

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक है, लेकिन साथ ही यह उम्मीद भी करती है कि वे राज्य के निर्माण के प्रयासों में अपना सर्वोत्तम योगदान दें। हरियाणा राज्य को एक खुले आहाल राज्य बनाना हम सभी के प्रयत्नों का लक्ष्य होना चाहिये। अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा एवं कार्य कुशलता हमारे संस्थानों, विभागों की कार्य प्रणाली एवं कर्मचारियों के आचरण का मापदण्ड होना चाहिये।

अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं कर्मचारियों की उस टीम के प्रति अपना आभार और धन्यवाद अब य व्यक्त करूंगा जिन्होंने इन बजट अनुमानों को सावधानी पूर्वक तैयार करने में कठिना परिश्रम किया है। महालेखाकार, हरियाणा ने इसमें विशेषतौर से हमारी सहायता की है। वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने वास्तव में बजट अनुमानों को समय पर तैयार करने, मुद्रणालय की तथा हरियाणा मुद्रणालय का इस कार्य के निपटान में सदैव की भान्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, अब मैं इन बजट अनुमानों को इस माननीय सदन के विचार तथा अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द। (तालियाँ)

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बर्ज तक ऐडजर्न किया जाता है।

11.56 बजे।

(तत्प चात सदन वीरवार, दिनांक 15 मार्च, 1990 प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ।